

अध्याय-II: बिक्री, व्यापार, इत्यादि पर कर/वैट

2.1 कर प्रशासन

बिक्री कर/वैट अधिनियम एवं उनके अधीन बनाये गये नियमों को लागू करवाना, शासन स्तर पर प्रमुख शासन सचिव (वित्त) के प्रशासनिक नियंत्रण में होता है। आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग के प्रमुख है, जिनकी सहायता हेतु 26 अतिरिक्त आयुक्त, 47 उपायुक्त, 91 सहायक आयुक्त, 136 वाणिज्यिक कर अधिकारी, 402 सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी एवं एक वित्तीय सलाहकार है। सम्बन्धित कर अधिनियमों एवं नियमों को लागू करवाने में कनिष्ठ वाणिज्यिक कर अधिकारी एवं अधीनस्थ स्टाफ सहयोग प्रदान करते हैं।

वैट, प्रवेश कर का आरोपण एवं संग्रहण तथा ब्याज एवं शास्ति का आरोपण 'राजस्थान वैट अधिनियम', 'राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम' एवं उनके अधीन बनाये गये नियमों और समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं द्वारा विनियमित होते हैं।

2.2 विभाग द्वारा सम्पादित आन्तरिक लेखापरीक्षा

विभाग में आन्तरिक लेखापरीक्षा समूह का प्रमुख वित्तीय सलाहकार होता है। समूह परिचालन समिति द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप तथा अनुमोदित कार्ययोजना के अनुसार कर निर्धारण प्रकरणों की मापक जांच कर अधिनियमों एवं नियमों तथा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों की पालना को सुनिश्चित करता है।

आन्तरिक लेखापरीक्षा समूह द्वारा विगत पांच वर्षों में लेखापरीक्षा की गयी इकाइयों की स्थिति निम्नानुसार थी:

वर्ष	लेखापरीक्षा के लिये बकाया इकाइयाँ	वर्ष के दौरान लेखापरीक्षा के लिये ड्यू इकाइयाँ	लेखापरीक्षा के लिये कुल ड्यू इकाइयाँ	वर्ष के दौरान लेखापरीक्षित इकाइयाँ	लेखापरीक्षा से शेष रही इकाइयाँ	कमी प्रतिशतता में
2010-11	198	384	582	489	93	16
2011-12	93	384	477	411	66	14
2012-13	66	384	450	267	183	41
2013-14	183	414	597	287	310	52
2014-15	310	413	723	471	252	35

वर्ष 2010-11 से 2014-15 के दौरान आन्तरिक लेखापरीक्षा के कार्य में 14 से 52 प्रतिशत के मध्य कमी रही।

यह भी देखा गया कि वर्ष 2014-15 के अन्त में आन्तरिक लेखापरीक्षा के 18,459 अनुच्छेद बकाया थे। वर्षवार बकाया अनुच्छेदों की स्थिति निम्न प्रकार है:

वर्ष	2009-10 तक	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	योग
अनुच्छेदों की संख्या	11,827	1,255	1,661	1,386	1,250	1,080	18,459

बड़ी संख्या में बकाया अनुच्छेदों का निस्तारण नहीं होना यह दर्शाता है कि विभाग स्वयं के आन्तरिक लेखापरीक्षा समूह के द्वारा लिये गये आक्षेपों के निपटान की निगरानी नहीं कर रहा है।

2.3 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2014-15 में, 70 इकाइयों के वैट/बिक्री कर निर्धारणों एवं अन्य अभिलेखों की मापक जांच के दौरान 1,581 प्रकरणों में ₹ 224.14 करोड़ के कर अवनिर्धारण एवं अन्य अनियमिततायें पायी गईं, जो तालिका में निम्नलिखित श्रेणियों में दर्शायी गयी है:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	'वैट के अन्तर्गत पंजीयन, निर्धारण एवं संग्रहण की प्रणाली' पर निष्पादन लेखापरीक्षा	1	164.13
2.	कर का अवनिर्धारण	502	46.53
3.	त्रुटिपूर्ण वैधानिक प्रपत्र स्वीकार करना	86	3.92
4.	क्रय/विक्रय को छुपाने के कारण कर चोरी	15	0.54
5.	आगत कर क्रेडिट को अनियमित/गलत/अधिक स्वीकार करना	367	4.78
6.	अन्य अनियमिततायें		
	(i) राजस्व से सम्बन्धित	561	2.93
	(ii) व्यय से सम्बन्धित	49	1.31
योग		1,581	224.14

वर्ष 2014-15 के दौरान विभाग ने 1,074 प्रकरणों में ₹ 38.36 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया, जिसमें से राशि ₹ 1.35 करोड़ राशि के 86 प्रकरण वर्ष 2014-15 के दौरान तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में लाये गये थे। इसी अवधि में 177 प्रकरणों में ₹ 4.15 करोड़ की राशि वसूल की गई, जिसमें से ₹ 1.94 करोड़ के 18 प्रकरण वर्ष 2014-15 से तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों से सम्बन्धित थे।

लेखापरीक्षा द्वारा सरकार को आठ प्रकरणों में ड्राफ्ट पैराग्राफ जारी किये जाने के पश्चात विभाग ने इनको स्वीकार करते हुए ₹ 40.49 लाख की सम्पूर्ण राशि वसूल कर ली। इस प्रतिवेदन में इन पैराओं की चर्चा नहीं की गयी है।

'वैट के अन्तर्गत पंजीयन, निर्धारण एवं संग्रहण की प्रणाली' पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा जिसमें राशि ₹ 164.13 करोड़ सन्निहित है एवं ₹ 2.14 करोड़ के लेखापरीक्षा आक्षेपों के कुछ उदाहरण अनुच्छेद संख्या 2.4 से 2.7 में दिये गये हैं।

2.4 'वैट के अन्तर्गत पंजीयन, निर्धारण एवं संग्रहण की प्रणाली' पर निष्पादन लेखापरीक्षा

मुख्य बिन्दु

- राजस्थान वैट अधिनियम के प्रावधानों के विरुद्ध 366 व्यक्तियों को एक से अधिक कुल 742 पंजीयन प्रमाण-पत्र जारी कर दिये गये। इसके परिणामस्वरूप पांच मामलों में ₹ 3.27 करोड़ के टर्नओवर पर ₹ 14.73 लाख कर का अनारोपण रहा।

(अनुच्छेद 2.4.9)

- खान एवं भू-विज्ञान विभाग से एकत्रित सूचनाओं का प्रतिसत्यापन करने पर पाया गया कि 142 खान मालिकों/लीज होल्डर्स को कर दायरे में नहीं लाया गया और ₹ 189.87 करोड़ के टर्नओवर पर कर राशि ₹ 9.49 करोड़ का आरोपण नहीं हो सका।

(अनुच्छेद 2.4.11.2)

- सही कर दायित्व को सुनिश्चित करने हेतु सभी आवश्यक विवरणों को प्राप्त करने हेतु विवरणियों के प्रारूप पर्याप्त नहीं थे। सूचनाओं की कमी के परिणामस्वरूप 22 व्यवहारियों पर ब्याज एवं शास्ति सहित कर ₹ 6.37 करोड़ का अनारोपण रहा।

(अनुच्छेद 2.4.13.1 एवं 2.4.13.3)

- चयनित व्यवहारियों की व्यवसाय लेखापरीक्षा में 36 से 67 प्रतिशत तक की कमी ध्यान में आयी। सम्पादित व्यवसाय लेखापरीक्षा में कमी के कारण व्यवसाय लेखापरीक्षा के 3,206 निर्धारण प्रकरण कालातीत हो गये। इसके अतिरिक्त कम संख्या में व्यवसाय लेखापरीक्षा करने से निर्धारण प्राधिकारियों को इस बात की छूट मिलती है कि वे अपनी इच्छानुसार व्यवसाय लेखापरीक्षा के लिये मामलों को चुनें जो गलत परिपाटी को बढ़ावा दे सकती है।

(अनुच्छेद 2.4.15.1)

- यह पाया गया कि 1,440 व्यवहारियों ने ₹ 11.39 करोड़ का कर एकत्रित किया लेकिन उनकी विवरणियों में शून्य टर्नओवर दर्शाया गया। तथापि निर्धारण प्राधिकारी करापवचना का पता नहीं लगा सके एवं ब्याज और शास्ति सहित कर ₹ 38.95 करोड़ का आरोपण नहीं किया गया।

(अनुच्छेद 2.4.15.4)

- 189 व्यवहारियों ने ₹ 1.93 करोड़ के आगत कर लाभ का दावा किया, जिन्होंने ऐसे विक्रेता व्यवहारियों से क्रय करना दर्शाया था जिनके पंजीयन प्रमाण-पत्र निरस्त हो चुके थे। तथापि निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा इन व्यवहारियों का डीमड निर्धारण किया गया जिसके परिणामस्वरूप ब्याज और शास्ति सहित आगत कर लाभ ₹ 6.61 करोड़ का अनारोपण रहा/गलत अनुमत्य किया गया।

(अनुच्छेद 2.4.19.1)

- निर्धारण प्राधिकारियों ने 144 मामलों में व्यवहारियों को ₹ 1.44 करोड़ का आगत कर लाभ अनुमत्य किया, बावजूद इसके कि इन व्यवहारियों ने उन व्यवहारियों से क्रय किया जाना दर्शाया जिनके पंजीयन प्रमाण-पत्र पूर्व में ही निरस्त किये जा चुके थे। इसके परिणामस्वरूप रिवर्स कर, ब्याज एवं शास्ति ₹ 4.93 करोड़ का अनारोपण रहा।

(अनुच्छेद 2.4.19.2)

- निर्धारण प्राधिकारियों ने 117 व्यवहारियों पर रिवर्स कर का आरोपण करते समय ₹ 3.24 करोड़ की शास्ति का आरोपण नहीं किया जिन्होंने उन व्यवहारियों से माल क्रय करने पर आगत कर लाभ का दावा किया था जिनके पंजीकरण प्रमाण-पत्र निरस्त किये जा चुके थे।

(अनुच्छेद 2.4.19.3)

- 159 व्यवहारियों ने अयोग्य वस्तुओं की खरीद पर आगत कर लाभ अनियमित रूप से लिया। निर्धारण प्राधिकारियों ने रिवर्स कर, शास्ति एवं ब्याज ₹ 21.04 करोड़ का आरोपण नहीं किया।

(अनुच्छेद 2.4.20)

- यह पाया गया कि 100 व्यवहारियों ने उनकी विवरणियों में पुनःआयातित माल को या तो दर्शाया ही नहीं अथवा कम राशि दर्शायी जिसके परिणामस्वरूप कर, ब्याज एवं शास्ति ₹ 5.38 करोड़ का आरोपण नहीं हुआ।

(अनुच्छेद 2.4.23)

- राज्य आबकारी विभाग ने 11 व्यवहारियों को तीन सितारा एवं अधिक या हैरिटेज होटल्स (बी-श्रेणी) की बार-अनुज्ञप्तियाँ जारी की। तथापि इन व्यवहारियों ने अपने होटलों को तीन सितारा होटल से कम श्रेणी का मानते हुये, उनके द्वारा पकाये एवं परोसे गये भोजन के विक्रय पर कम दर से कर चुकाया। निर्धारण प्राधिकारियों ने कर, ब्याज एवं शास्ति ₹ 15.18 करोड़ आरोपित नहीं की।

(अनुच्छेद 2.4.25.1)

2.4.1 प्रस्तावना

राज्य में मूल्य परिवर्धित कर (वैट) का निर्धारण, वसूली एवं संग्रहण राजस्थान वैट अधिनियम, 2003 एवं इसके अन्तर्गत बने राजस्थान वैट नियम, 2006 द्वारा शासित है। राजस्थान वैट अधिनियम के अन्तर्गत कर का आरोपण विक्रय के हर स्तर पर, किया जाता है, साथ ही क्रय पर चुकाये गये कर का क्रेडिट (जिसे आगत कर लाभ (आई.टी.सी.) कहा जाता है) अनुमत्य किया जाता है जिससे कि बहुल कराधान के उत्तरोत्तर प्रभाव को समाप्त किया जा सके। इस प्रकार, सभी पंजीकृत व्यवहारी केवल मूल्य वृद्धि पर कर चुकाने हेतु दायी होते हैं। राजस्थान वैट अधिनियम वाणिज्यिक कर विभाग (विभाग) राजस्थान सरकार, द्वारा लागू किया होता है।

राजस्थान वैट अधिनियम, व्यवहारियों के पंजीकरण, आवधिक विवरणियाँ प्रस्तुत करना, व्यवहारियों द्वारा स्व-निर्धारण किया जाना एवं कर का आरोपण और भुगतान की शुद्धता को सुनिश्चित करने हेतु विभाग द्वारा चयनित व्यवहारियों का व्यवसाय लेखापरीक्षा निर्धारण आदि हेतु उपबन्ध करता है। राजस्थान वैट अधिनियम के उक्त से सम्बन्धित प्रावधान संक्षेप में निम्नलिखित प्रकार से वर्णित हैं:

व्यवहारियों का पंजीकरण

राजस्थान वैट अधिनियम की धारा 3 सपठित धारा 11 के अनुसार कोई भी व्यवहारी जिसका टर्नओवर एक वर्ष में ₹ 10 लाख की सीमा को पार कर जाता है, एक निर्माता जिसका वार्षिक टर्नओवर ₹ पांच लाख से ज्यादा हो जाता है और माल/वस्तु का कोई आयातक, वैध पंजीकरण प्रमाण-पत्र के बिना व्यवसाय नहीं कर सकता है। तथापि कोई व्यवहारी जिसका टर्नओवर निर्धारित सीमा को पार नहीं करता है अथवा राजस्थान वैट अधिनियम की अनुसूची-I में वर्णित करमुक्त वस्तुओं में संव्यवहार करता है तो वह अपंजीकृत व्यवहारी के रूप में व्यवसाय कर सकता है।

व्यवहारियों द्वारा विवरणियाँ प्रस्तुत करना

पंजीकृत व्यवहारी को स्वयं की कर देयता निर्धारित कर निर्धारित अवधि में निर्धारण अधिकारी को प्रपत्र वैट-10 एवं वैट-10ए/11 में विवरणी प्रस्तुत करनी होती है। विवरणी के साथ आवश्यक वैधानिक प्रपत्र संलग्न किये जाते हैं।

डीमंड/स्कूटनी
निर्धारण

अधिनियम की धारा 23 एवं 24 के अनुसार प्रत्येक पंजीकृत व्यवहारी जिसने की उस वर्ष के लिए वार्षिक विवरणी निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत कर दी है तो उस वार्षिक विवरणी के आधार पर उस वर्ष के लिए उसका निर्धारण किया हुआ समझा जाएगा जब तक की आयुक्त, वाणिज्यिक कर द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार विवरणियों की जांच में कोई त्रुटि नहीं पाई जावे। यदि कोई त्रुटि पाई जाती है और व्यवहारी निर्धारित अवधि में संशोधित विवरणी प्रस्तुत कर देता तो भी उसका निर्धारण किया हुआ मान लिया जावेगा। यदि व्यवहारी निर्धारित समयावधि में विवरणियों की त्रुटियों को नहीं सुधारता है तो निर्धारण प्राधिकारी रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने सर्वोत्तम विवेक के अनुसार उसका निर्धारण करेगा।

व्यवसाय
लेखापरीक्षा
निर्धारण

अधिनियम की धारा 27 के अनुसार आयुक्त, वाणिज्यिक कर चयनित व्यवहारियों के 'व्यवसाय की लेखापरीक्षा' किया जाना तय कर सकते हैं। लेखापरीक्षा में यदि व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत विवरणी सही नहीं पायी जाती है या कर का अपवंचन या परिवर्जन पाया जाता है तो निर्धारण प्राधिकारी उसका कर एवं अन्य दायित्व निर्धारित करेगा।

कर का
भुगतान

अधिनियम की धारा 20 सपटित धारा 38 के अनुसार व्यवहारी राजस्थान सरकार द्वारा अधिसूचित विहित रीति एवं अन्तराल के अनुसार अपने लेखों के आधार पर देय कर जमा करायेगा। किसी भी व्यक्ति या व्यवहारी द्वारा जमा कराया गया कर इस अधिनियम के अधीन निर्धारित कर राशि में समायोजित किया जायेगा और शेष राशि जो व्यवहारी द्वारा चुकायी जानी है मांगपत्र तामील किये जाने से 30 दिन में जमा करानी होगी।

2.4.2 राजस्व की प्रवृत्ति


वर्ष 2010-11 से 2014-15 के दौरान वेट से वास्तविक प्राप्तियाँ एवं बजट अनुमान और गत वर्ष की तुलना में प्राप्तियों में हुई वृद्धि को निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	गत वर्ष की तुलना में प्राप्तियों में वृद्धि (प्रतिशत में)
2010-11	11,394.21	11,638.74	23
2011-12	13,653.06	14,371.53	23
2012-13	16,912.99	16,887.48	18
2013-14	19,944.29	19,490.41	15
2014-15	23,712.99	22,214.88	14

स्रोत: राज्य सरकार का बजट दस्तावेज एवं वित्त लेखे।

राजस्व की प्रवृत्ति निम्नलिखित चार्ट में दर्शायी गयी है:



उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि यद्यपि प्राप्तियों में प्रति वर्ष वृद्धि हुई है लेकिन गत वर्षों की तुलना में प्राप्तियों में वृद्धि की गति वर्ष 2012-13 एवं 2014-15 के दौरान कायम नहीं रखी जा सकी। तथापि, विभाग ने वर्ष 2010-11 की तुलना में प्राप्तियों को 91 प्रतिशत तक बढ़ाया है जो की महत्वपूर्ण है।

2.4.3 संगठनात्मक ढांचा

प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार के नियन्त्रण एवं पर्यवेक्षण में विभाग कार्य करता है। आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग के प्रमुख है। उनकी सहायता के लिये 26 अतिरिक्त आयुक्त है।

विभाग में 15 जोन हैं, जिनके प्रमुख उपायुक्त होते हैं। इन जोनों के अन्तर्गत 130 वृत्त¹ हैं। कर का निर्धारण एवं वसूली का कार्य निर्धारण प्राधिकारियों, जो कि वृत्तों एवं घटों में पदस्थापित सहायक आयुक्त/वाणिज्यिक कर अधिकारी/सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारियों के स्तर के अधिकारी होते हैं, के द्वारा किया जाता है।

2.4.4 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित किये जाने के लिए की गयी कि:

- क्या व्यवहारियों के पंजीकरण किये जाने की प्रणाली उपयुक्त व्यवहारियों को कर दायरे में लाने हेतु कुशल एवं प्रभावी है;
- क्या अधिनियम एवं नियमों में उपलब्ध प्रावधान विभाग के हितों की सुरक्षा हेतु समुचित हैं;
- अधिनियम एवं नियमों में उपलब्ध प्रावधानों एवं इनके अधीन जारी अधिसूचनाओं/परिपत्रों की पालना का स्तर; एवं
- आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली की पर्याप्तता एवं प्रभावशीलता।

2.4.5 लेखापरीक्षा के मानदण्ड

निष्पादन लेखापरीक्षा के लिये लेखापरीक्षा मानदण्ड निम्नलिखित अधिनियमों, नियमों के प्रावधानों और इसके अन्तर्गत जारी अधिसूचनाओं/परिपत्रों से लिये गये जिनके द्वारा विभाग वैट के अन्तर्गत पंजीकरण, निर्धारण एवं वसूली की प्रणाली को शासित करता है:

राज्य कानून

- राजस्थान वैट अधिनियम, 2003; एवं
- राजस्थान वैट नियम, 2006

केन्द्रीय कानून

- केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956; एवं
- केन्द्रीय बिक्री कर (पंजीकरण व टर्नओवर) नियम, 1957।

2.4.6 निष्पादन लेखापरीक्षा का क्षेत्र एवं प्रणाली

‘वैट के अन्तर्गत पंजीयन, निर्धारण एवं संग्रहण की प्रणाली’ पर निष्पादन लेखापरीक्षा जनवरी से जून 2015 के मध्य की गयी, इसमें 2011-12 से 2013-14 अवधि को कवर किया गया, जिसमें की वित्तीय वर्ष 2009-10 से 2011-12 तक

¹ विशेष वृत्त-25, नियमित वृत्त-73, कार्यसंविदा एवं लीजिंग टेक्स वृत्त-12, करापर्वचना वृत्त-20

के कर निर्धारणों को अन्तिम रूप दिया गया था। कुल 98 वृत्तों² में से 11 वृत्तों³ का चयन 'पुनःस्थापन सहित आकार के अनुरूप संभावना प्रतिचयन विधि' से किया गया। इन 11 वृत्तों का सम्मिलित रूप से वर्ष 2009-10 से 2013-14 के दौरान कुल वैट प्राप्तियों में 59 प्रतिशत योगदान था। आयुक्त कार्यालय के रिकार्ड एवं विभागीय वेबसाइट राजविस्टा पर उपलब्ध डेटा का भी परीक्षण किया गया। इनके अलावा अन्य राजकीय विभागों यथा खान एवं भू-विज्ञान, राज्य आबकारी, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमाशुल्क से भी सूचनायें प्राप्त की गयीं एवं विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध डेटा से मिलान किया गया। चूँकि 'वाणिज्यिक कर विभाग में बकाया की वसूली' पर निष्पादन लेखापरीक्षा 31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिये लेखापरीक्षा रिपोर्ट में सम्मिलित की गयी थी अतः वैट के संग्रहण की व्यवस्था को निष्पादन लेखापरीक्षा के क्षेत्र से बाहर रखा गया।

2.4.7 आभार

भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग, लेखापरीक्षा को आवश्यक सूचनायें और अभिलेखों को उपलब्ध कराने के लिये वाणिज्यिक कर विभाग एवं उसके अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा दिये गये सहयोग के प्रति आभार प्रकट करता है।

आयुक्त, वाणिज्यिक कर के साथ 12 फरवरी 2015 को एक प्रारम्भिक सभा की गयी, जिसमें निष्पादन लेखापरीक्षा के उद्देश्यों, क्षेत्र तथा प्रक्रियाविधि को स्पष्ट किया गया। तथ्यात्मक विवरण/ड्राफ्ट पैरा अगस्त/अक्टूबर 2015 में सरकार तथा विभाग को भेजे गये। आयुक्त, वाणिज्यिक कर एवं सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग के साथ एक समापन सभा 24 नवम्बर 2015 को हुई, जिसमें निष्पादन लेखापरीक्षा के निष्कर्षों पर चर्चा की गयी। समापन सभा के दौरान एवं अन्य समय पर प्राप्त जवाबों पर विचार कर समुचित रूप से सम्बन्धित अनुच्छेदों में शामिल किया गया है।

लेखापरीक्षा के निष्कर्ष

पंजीकरण

राजस्थान वैट अधिनियम की धारा 3 सपटित धारा 11 के अनुसार एक व्यवहारी जो कि पंजीकरण कराने के लिये उत्तरदायी है वह प्रपत्र वैट-01 में आवेदन कर के स्वयं को पंजीकृत करवाएगा। पंजीयन जारी करने के लिए सक्षम अधिकारी

² चूँकि 'कार्यसंविदा पर वैट का आरोपण एवं संग्रहण' विषय पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा वर्ष 2014 को समाप्त वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित की गयी थी इसलिये 12 कार्यसंविदा एवं लीजिंग टेक्स वृत्तों को निष्पादन लेखापरीक्षा के क्षेत्र से बाहर रखा गया था और 20 वृत्तों को भी बाहर रखा गया था क्योंकि ये करापवंचना गतिविधियों से सम्बन्ध थे।

³ विशेष वृत्त: भीलवाड़ा, जयपुर-III, पाली और राजस्थान जयपुर।

नियमित वृत्त: भिवाड़ी-बी, जयपुर-डी, जयपुर-जे, जयपुर-एन, जोधपुर-ए, नागौर और उदयपुर-बी।

आवश्यक जांच करने के उपरान्त प्रपत्र वैट-03 में पंजीयन प्रमाणपत्र जारी करेगा। जहाँ कोई व्यवहारी जो पंजीयन के योग्य है लेकिन पंजीयन के लिए आवेदन नहीं करता है, तो पंजीयन जारी करने के लिए सक्षम अधिकारी उसको अनिवार्य रूप से पंजीकृत करेगा। यद्यपि व्यवहारी को पंजीयन हेतु आवेदन नहीं किये जाने के कारणों को स्पष्ट करने हेतु एक अवसर प्रदान किया जावेगा और सन्तोषजनक कारण नहीं होने पर शास्ति आरोपित की जावेगी जो की ₹ दो हजार से ज्यादा नहीं होगी।

राजस्थान वैट अधिनियम में पंजीकृत व्यवहारियों की स्थिति नीचे दी गयी है:

वर्ष	वर्ष के शुरू में पंजीकृत व्यवहारियों की संख्या	वर्ष के दौरान पंजीकृत व्यवहारियों की संख्या	योग	वर्ष के दौरान पंजीकरण निरस्त किये गये व्यवहारियों की संख्या	वर्ष के अन्त में पंजीकृत व्यवहारियों की संख्या
2009-10	3,44,852	33,314	3,78,166	1,478	3,76,688
2010-11	3,76,688	39,516	4,16,204	6,881	4,09,323
2011-12	4,09,323	49,437	4,58,760	17,918	4,40,842
2012-13	4,40,842	45,192	4,86,034	14,529	4,71,505
2013-14	4,71,505	22,087	4,93,592	37,026	4,56,566

उपरोक्त तालिका इंगित करती है कि गत पांच वर्षों में 77,832 व्यवहारियों के पंजीकरण रद्द होने के उपरान्त भी पंजीकृत व्यवहारियों की संख्या में 1,11,714 की वृद्धि हुई है जो कि 32 प्रतिशत है।

2.4.8 व्यवहारियों की स्थिति का सत्यापन

राजस्थान वैट नियम के नियम 14 के अनुसार पंजीकरण अधिकारी, इस बात की संतुष्टि होने पर कि पंजीकरण हेतु प्राप्त आवेदन सभी तरह से पूर्ण है एवं सभी दस्तावेज संलग्न हैं, ऐसे आवेदन की प्राप्ति के 24 घंटों के भीतर पंजीयन प्रमाण-पत्र जारी करेगा। तत्पश्चात, पंजीकरण अधिकारी या कर निर्धारण प्राधिकारी ऐसे पंजीयन जारी होने से 45 दिनों के भीतर पंजीयन आवेदन के समस्त तथ्यों व कथनों के सत्यापन हेतु जांच करेगा।

राजविस्टा⁴ पर 6 जुलाई 2015 को उपलब्ध सूचना से यह प्रकट हुआ की चयनित वृत्तों⁵ में पंजीकरण प्रक्रिया में आये 4,554 प्रकरणों में से 726 प्रकरणों में आवेदनों के तथ्यों व कथनों का सत्यापन 46 से 365 दिनों तक बकाया रहा।

पंजीकरण प्रमाण-पत्रों के सत्यापन हेतु सिस्टम में मोड्यूल का अभाव: नियमों की पालना के स्तर को जांचने हेतु माह अप्रैल 2011 को चयनित किया गया और यह

⁴ राजविस्टा: यह विभाग द्वारा केवल कार्यालय उपयोग हेतु एक वेबसाइट है।

⁵ वृत्त: भिवाड़ी-बी, जयपुर-डी, जयपुर-जे, जोधपुर-ए और उदयपुर-बी।

पाया गया कि चयनित सात वृत्तों⁶ में 422 पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किये गये। इनके सम्बन्ध में जानकारी चाहने पर इन वृत्तों के वाणिज्यिक कर अधिकारियों/सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारियों ने तथ्यों व कथनों के सत्यापन की तिथि की सूचना उपलब्ध नहीं करवायी, क्योंकि सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा निर्धारित अवधि में पंजीकरण प्रमाण-पत्र का सत्यापन कर लिया गया था पर निगरानी हेतु कोई मोड्यूल उपलब्ध नहीं था। अभिष्ट मोड्यूल एवं वांछित सूचनाओं के अभाव में पंजीकरण प्रमाण-पत्रों के सत्यापन में विलम्ब को सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

सरकार ने प्रत्युत्तर में बताया (नवम्बर 2015) की कनिष्ठ वाणिज्यिक कर अधिकारियों की कमी के कारण नव पंजीकृत व्यवहारियों की स्थिति का सत्यापन निर्धारित अवधि में नहीं किया जा सका। यह भी बताया गया कि ज्यादातर प्रकरणों में सत्यापन कर लिया गया है एवं कुछ प्रकरणों में राजविस्टा पर सूचनार्थ दर्ज न करने के कारण सत्यापन बकाया दर्शाया जा रहा था। इसके अतिरिक्त, यह भी अवगत कराया गया कि जब तक व्यवहारी की स्थिति का सत्यापन नहीं कर लिया जाता है घोषणा-पत्र जारी नहीं किये जाते हैं।

विभाग को व्यवहारियों की स्थिति का समय पर सत्यापन करना सुनिश्चित किया जाना चाहिये ताकि सही व्यवहारियों को व्यवसाय में बाधा नहीं होवे तथा अवांछित व्यवहारियों द्वारा कर अपवंचना से बचा जा सके।

2.4.9 एक से अधिक पंजीकरण प्रमाण-पत्रों के साथ व्यवसाय

राजस्थान वैट अधिनियम की धारा 11 सपठित राजस्थान वैट नियमों के नियम 14 के अनुसार एक व्यवहारी जो कि राज्य में एक से अधिक स्थानों पर व्यवसाय करना चाहता है तो व्यवहारी को मुख्य व्यवसाय स्थल के लिये पंजीयन प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा और अन्य व्यवसाय स्थलों के लिये शाखा प्रमाण-पत्र जारी किये जावेंगे। इस प्रकार एक पंजीकृत व्यवहारी को केवल एक टैक्स आइडेंटिफिकेशन नम्बर (टिन) ही जारी किया जायेगा।

राजविस्टा पर उपलब्ध सूचना की संवीक्षा में पाया गया कि चयनित वृत्तों में 366 व्यक्तियों को 742 पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी कर दिये गये एवं ये व्यवहारी दो या अधिक स्थानों पर अलग अलग पंजीकरण प्रमाण-पत्रों के साथ मार्च 2015 तक व्यवसाय कर रहे थे। तथापि, विभाग ने इन व्यवहारियों के अतिरिक्त पंजीयन प्रमाण-पत्रों को निरस्त किये जाने की कार्यवाही शुरू नहीं की।

दोहरे पंजीकरण का प्रभाव: राजविस्टा पर उपलब्ध सूचना की संवीक्षा में पाया गया कि 37 व्यक्तियों जिनके पास 74 पंजीयन प्रमाण-पत्र थे, ने वर्ष 2011-12 के दौरान या तो एक अथवा दोनों पंजीयन प्रमाण-पत्रों पर राजस्थान वैट अधिनियम की

⁶ वृत्त: भिवाड़ी-बी, जयपुर-डी, जयपुर-जे, जयपुर-एन, जोधपुर-ए, नागौर और उदयपुर-बी।

धारा 3(2)⁷ के अन्तर्गत 0.50 प्रतिशत की दर से कर का भुगतान किये जाने का विकल्प चुना। वार्षिक विवरणियों की संवीक्षा में पाया गया की इनमें ऐसे व्यवहारी सम्मिलित थे जो कि धारा 3(2) के अन्तर्गत कर दर 0.50 प्रतिशत की दर से कर चुकाने की पात्रता नहीं रखते थे क्योंकि उनका कुल टर्नओवर पात्रता मानदण्ड से ज्यादा था। वस्तुवार विवरण उपलब्ध नहीं होने के कारण इनके इस टर्नओवर पर कर की दर सुनिश्चित नहीं की जा सकी। इसके परिणामस्वरूप कुछ प्रकरणों में ₹ 14.73 लाख का कर आरोपित नहीं किया जा सका जो कि तालिका 2.4.9 में दर्शाया गया है:

तालिका 2.4.9

क्र. सं.	पैन संख्या ⁸	टिन संख्या	व्यवहारी की श्रेणी	कुल टर्नओवर	टर्नओवर जिस पर कम दर से कर चुकाया गया	कर दर 4.5 प्रतिशत की दर से आरोपणीय अन्तर कर ⁹
1.	AAWPA3060A	08130300017	3(2)	33,95,420	33,95,420	1,52,794
		08720246197	वैट	93,35,454		
2.	ACXPG1695G	08182154484	3(2)	59,22,683	1,06,68,562	4,80,085
		08242156003	3(2)	47,45,879		
3.	APKPG5912L	08702191931	3(2)	25,40,432	25,40,432	1,14,319
		08452190565	वैट	1,60,49,523		
4.	AAHPL5243M	08972558006	3(2)	51,69,616	51,69,616	2,32,633
		08922558761	वैट	12,71,996		
5.	AARFS0965P	08762553805	3(2)	57,32,469	1,09,60,663	4,93,230
		08162560537	3(2)	52,28,194		
योग					3,27,34,693	14,73,061

सरकार ने लेखापरीक्षा निष्कर्ष को स्वीकार किया और उत्तर दिया (नवम्बर 2015) कि जहां एक पैन पर एक से अधिक पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी किये गये हैं उन पंजीकरण प्रमाण-पत्रों को निरस्त किये जाने अथवा शाखा प्रमाण-पत्र जारी किये जाने की प्रक्रिया प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त यह भी बताया गया कि सिस्टम

⁷ ऐसे व्यवहारी जिनका वार्षिक टर्नओवर ₹ 50.00 लाख (14 अप्रैल 2011 तक), ₹ 60.00 लाख (15 अप्रैल 2011 से 8 अप्रैल 2013) और ₹ 75.00 लाख (8 अप्रैल 2013 के पश्चात) था एवं जो राज्य के पंजीकृत व्यवहारियों से ही माल खरीदते हैं इस धारा के अन्तर्गत कर का भुगतान किया जाना चुन सकते हैं। इन व्यवहारियों हेतु कर की दर केवल 0.50 प्रतिशत है।

⁸ पैन से तात्पर्य आयकर विभाग से आवंटित स्थायी लेखा संख्या से है।

⁹ वस्तुवार विवरण उपलब्ध नहीं होने के कारण इस टर्नओवर को कर दर पांच प्रतिशत की दर से कर योग्य माना गया।

को उन्नत कर दिया गया है जिससे की एक पैन पर एक ही पंजीयन प्रमाण-पत्र जारी हो सके।

2.4.10 चार से अधिक व्यवहारियों को प्रतिभूति

राजस्थान वैट अधिनियम की धारा 15 के अनुसार बाध्यकारी पंजीयन जारी किए जाते समय ली जाने वाली प्रारम्भिक जमानत इस अधिनियम में पंजीकृत दो व्यवहारियों द्वारा दिए जाने वाले प्रतिभूति के रूप में होगी और यदि व्यवहारी ऐसी प्रतिभूति प्रस्तुत करने में असमर्थ हो तो वह राष्ट्रीय बचत पत्र या नकद के रूप में या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की तीन वर्षीय बैंक-गारन्टी के रूप में जमानत देगा। परिपत्र दिनांक 24 मार्च 2009 के अनुसार एक अकेला पंजीकृत व्यवहारी दो से अधिक व्यवहारियों हेतु प्रतिभूति नहीं दे सकता है। इसके पश्चात, दिनांक 23 सितम्बर 2010 को जारी परिपत्र द्वारा इस सीमा को चार व्यवहारियों तक बढ़ा दिया गया।

विभाग ने राजविस्टा अथवा अन्य किसी विधि से ऐसा कोई सिस्टम विकसित नहीं किया जिससे की उपरोक्त मानदण्ड की पालना सुनिश्चित की जा सके। राजविस्टा पर उपलब्ध जानकारी की संवीक्षा में पाया गया कि:

- 1,921 प्रकरणों में 241 व्यवहारियों ने प्रतिभूति प्रदान की। इनमें से प्रत्येक व्यवहारी ने चयनित वृत्तों में चार से अधिक व्यवहारियों हेतु, जो कि 5 से लेकर 29 तक थे, प्रतिभूतियाँ प्रदान की।
- 8,302 व्यवहारियों के प्रकरणों में, उन दोनों व्यवहारियों का या एक का पंजीयन प्रमाण-पत्र निरस्त हो गया था, जिन्होंने प्रतिभूति प्रदान की थी।

अधिनियम के प्रावधानों की पालना नहीं की गयी और चूक होने पर प्रतिभूतिदाता इस स्थिति में नहीं होंगे कि इन 10,223 व्यवहारियों के स्थान पर भुगतान कर सकें।

सरकार ने लेखापरीक्षा निष्कर्ष को स्वीकार किया और उत्तर दिया (नवम्बर 2015) की राजविस्टा पर एक सिस्टम विकसित किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके की एक व्यवहारी चार से अधिक व्यवहारियों हेतु प्रतिभूति प्रदान न कर सके। यह भी बताया गया कि एक मोड्यूल विकसित किया जा रहा है जिससे कि प्रतिभूति प्रदान करने वाले व्यवहारियों का पंजीयन प्रमाण-पत्र निरस्त होने वाले प्रकरणों में निगरानी रखी जा सके।

2.4.11 वैट के अन्तर्गत पंजीकरण हेतु व्यवहारियों की पहचान

राजस्थान वैट अधिनियम की धारा 11(6) के अनुसार यदि कोई व्यवहारी जो पंजीयन का पात्र है और वह पंजीयन के लिए आवेदन नहीं करता है, तो पंजीयन जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी, उस व्यवहारी को सुनवाई का एक अवसर देने के बाद, इस अधिनियम के अधीन पंजीयन प्रमाण-पत्र जारी करेगा। अपंजीकृत व्यवहारियों का पता लगाने एवं कर दायरे में वृद्धि हेतु सर्वे एक महत्वपूर्ण साधन

है। आयुक्त, वाणिज्यिक कर ने पात्र व्यवहारियों को कर दायरे में लाने हेतु सर्वे किये जाने के निर्देश (सितम्बर 2011) जारी किये थे।

2.4.11.1 उक्त निर्देशों की पालना का स्तर जांचने हेतु चयनित वृत्तों¹⁰ के 41 निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा किये गये सर्वे के सम्बन्ध में सूचनायें मांगी गयी। तथापि, 10 निर्धारण प्राधिकारियों ने वांछित सूचनायें उपलब्ध नहीं करायी और 26 निर्धारण प्राधिकारियों ने सूचित किया की कोई सर्वे नहीं किये गये थे। पांच निर्धारण प्राधिकारियों ने 2011-12 से 2013-14 की अवधि में किये गये सर्वे के आधार पर 92 व्यवहारियों को पंजीकरण प्रदान किये। नमूना जांच में पाया गया कि 84 प्रतिशत निर्धारण प्राधिकारियों ने कर दायरा बढ़ाने हेतु कोई सर्वे नहीं किये।

2.4.11.2 अपंजीकृत व्यवहारियों का पता लगाने के लिये, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमाशुल्क के विभागों से वर्ष 2011-12 से सम्बन्धित सूचनायें एकत्रित की गयी और राजविस्टा पर उपलब्ध जानकारी से प्रति-सत्यापित की गयी। पैन का उपयोग सूचनाओं के प्रति-सत्यापन में किया गया। आगामी अनुच्छेदों में निष्कर्षों पर चर्चा की गयी है:

● **खनन पट्टा धारकों का पंजीकरण नहीं होना**

खान एवं भू-विज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार विभिन्न व्यक्तियों/संस्थाओं को खनन पट्टे जारी करता है। 14 खनन अभियन्ताओं/सहायक खनन अभियन्ताओं से एकत्रित सूचनाओं को वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराई गई सूचनाओं से प्रति-सत्यापित किया गया एवं यह पाया गया कि 142 खान मालिक/खनन पट्टा धारक राजस्थान वैट अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं पाये गये यद्यपि उनके द्वारा खनन किये गये खनिज का मूल्य वर्ष 2011-12 में पंजीकरण हेतु पात्रता सीमा से अधिक था। इन व्यवहारियों को कर दायरे में नहीं लाया जा सका और इस कारण खनिजों के टर्नओवर राशि ₹ 189.87 करोड़ पर कर राशि ₹ 9.49 करोड़ का आरोपण नहीं किया जा सका।

● **आयातकों का पंजीकरण नहीं होना**

केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमाशुल्क के विभागों से एकत्रित सूचनाओं को विभाग से प्राप्त सूचनाओं से प्रति-सत्यापित किये जाने पर पाया गया कि 390 आयातक राजस्थान वैट अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं पाये गये यद्यपि प्रत्येक व्यवहारी जो कि माल का आयात करता है का राजस्थान वैट अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत होना आवश्यक है। इन आयातकों ने वर्ष 2011-12 के दौरान राशि ₹ 306.07 करोड़ का माल आयात किया था। राजस्थान वैट अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन के अभाव में इन व्यवहारियों द्वारा माल के आयात किये गये कुल मूल्य पर राशि ₹ 6.05 करोड़ के कर का निर्धारण, आरोपण एवं संग्रहण को कार्यान्वित नहीं किया जा सका।

¹⁰ वृत्त: भिवाड़ी-बी, जयपुर-डी, जयपुर-जे, जयपुर-एन, जोधपुर-ए, नागौर और उदयपुर-बी।

ये निष्कर्ष केवल एक वर्ष जो कि 2011-12 है के आंकड़ों पर आधारित है, यदि अन्य वर्षों के टर्नओवर की जानकारी भी प्राप्त की जा सके तो वास्तविक राशि इससे ज्यादा हो सकती है। वाणिज्यिक कर विभाग के लिए यह आवश्यक है कि वे इन प्रकरणों की गहनता से जांच करें एवं विधिसम्मत कार्यवाही करें। ये निष्कर्ष इस आवश्यकता को रेखांकित करते हैं कि एक नियमित प्रणाली को विकसित किया जावे, जिसके द्वारा अन्य सरकारी विभागों से सूचनायें प्राप्त करके अथवा सर्वे किये जा कर, व्यवहारियों का पंजीकरण किया जावे।

सरकार ने प्रत्युत्तर में बताया (नवम्बर 2015) की आयकर विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमाशुल्क के विभागों एवं विभाग के मध्य समन्वय हेतु रीजनल इकोनोमिक इन्टेलीजेन्स काउन्सिल का गठन किया गया है। इस काउन्सिल की बैठकों में प्राप्त सूचनाओं के आधार पर करापवंचना के प्रकरणों में कार्यवाही की जाती है।

आयातकों के मामलों में विभाग ने बताया की सीमाशुल्क विभाग से आयातकों की जो सूचनाएँ प्राप्त की जाती हैं उनमें आयातकों के गंतव्य/व्यवसाय स्थल की जानकारी नहीं होती है। यह भी बताया गया की व्यवहारी के पैन में दर्शाया गया पता राजस्थान का हो सकता है लेकिन वह अन्य राज्य में कार्यरत हो सकता है और इस कारण से आयात को राजस्थान की बिक्री नहीं मानी जा सकती है।

तथापि, तथ्य यह है कि विभाग ने अपंजीकृत व्यवहारियों की पहचान के लिये अन्य विभागों के पास उपलब्ध जानकारी को उपयोग में नहीं लिया। इसके अतिरिक्त, विभाग ने आयातकों जो कि राज्य में माल का आयात कर रहे थे, के व्यवसाय स्थल को सत्यापित किये जाने हेतु कोई प्रयास नहीं किये। इस प्रकार विभाग उन व्यवहारियों को पहचानने हेतु सचेत नहीं था जो कि संभवतया कर वंचना कर सकते हैं।

सरकार अन्य सरकारी विभागों से सूचनायें प्राप्त करके अथवा सर्वे किये जा कर, व्यवहारियों का पंजीकरण करने की एक नियमित प्रणाली को विकसित कर सकती है।

कर निर्धारण

2.4.12 विवरणियां प्रस्तुत न करने वाले व्यवहारियों पर निगरानी का अभाव

2.4.12.1 व्यवहारी जिन्होंने कर एकत्रित किया लेकिन विवरणियाँ प्रस्तुत नहीं की

चयनित वृत्तों¹¹ से एकत्रित सूचनाओं की संवीक्षा में पाया गया की 11 प्रतिशत व्यवहारियों ने वर्ष 2011-12 के दौरान विवरणियाँ प्रस्तुत नहीं की थी। ऐसे व्यवहारियों द्वारा करापवंचना की सम्भावनाओं को जांचने हेतु विभाग से अनुरोध किया गया कि राजविस्टा के द्वारा वर्ष 2011-12 हेतु एक रिपोर्ट तैयार करवायी

¹¹ आठ वृत्तों द्वारा उपलब्ध सूचना: भिवाड़ी-बी, भीलवाडा-विशेष, जयपुर-डी, जयपुर-विशेष राजस्थान, जोधपुर-ए, नागौर, पाली-विशेष और उदयपुर-बी। तीन वृत्तों से अनुपलब्ध सूचना: जयपुर-जे, जयपुर-एन और जयपुर-विशेष-III

जो कि ऐसे व्यवहारियों से अन्य पंजीकृत व्यवहारियों द्वारा की गयी खरीद को दर्शाये। विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गई रिपोर्ट की संवीक्षा में पाया गया कि 6,776 व्यवहारियों ने राशि ₹ 4,201.46 करोड़ का माल विक्रय किया एवं ₹ 102.39 करोड़ का कर एकत्रित किया। तथापि, इन व्यवहारियों ने विवरणियाँ प्रस्तुत नहीं की।

चयनित चार वृत्तों¹² के 112 व्यवहारियों के संव्यवहार जो कि राजविस्टा पर उपलब्ध थे की संवीक्षा में पाया गया कि इन व्यवहारियों ने राशि ₹ 7.52 करोड़ का माल विक्रय किया एवं ₹ 41.66 लाख का कर एकत्रित किया लेकिन उनकी विवरणियाँ प्रस्तुत नहीं की। राजविस्टा पर उपलब्ध मांग एवं संग्रहण रजिस्टर के अनुसार इन व्यवहारियों के विरुद्ध मांग कायम नहीं की गयी। इसके परिणामस्वरूप कर ₹ 41.66 लाख, ब्याज ₹ 17.50 लाख एवं शास्ति ₹ 83.32 लाख का आरोपण नहीं हो सका।

विभाग को राजस्व रिसाव को रोकने हेतु इन सभी प्रकरणों की जांच करनी चाहिये जिनमें कर ₹ 102.39 करोड़ की राशि निहित थी। इसके अतिरिक्त, राजविस्टा प्रणाली में ऐसा मोड्यूल नहीं है जिससे क्रेता व्यवहारियों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचनाओं से इन व्यवहारियों के टर्नओवर की एक रिपोर्ट तैयार की जा सके।

सरकार ने स्वीकार किया एवं उत्तर दिया (नवम्बर 2015) कि एक मोड्यूल तैयार कर लिया गया है जिससे उन व्यवहारियों की पहचान की जा सके जिन्होंने माल की खरीद/बिक्री की है लेकिन विवरणी प्रस्तुत नहीं की या शून्य टर्नओवर के साथ प्रस्तुत की थी।

2.4.12.2 विवरणियाँ प्रस्तुत नहीं करने वाले व्यवहारियों का निर्धारण नहीं किया जाना

राजस्थान वैट अधिनियम की धारा 22 के अनुसार यदि कोई व्यवहारी अधिसूचित समयावधि में कर जमा कराने में अथवा विहित अवधि में विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो निर्धारण प्राधिकारी अपने सर्वोत्तम विवेक से उक्त अवधि का कर निर्धारण करेगा। तथापि इस धारा के अन्तर्गत कोई भी आदेश विवरणी प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि के नौ माह के पश्चात पारित नहीं किया जा सकेगा।

राजविस्टा पर उपलब्ध सूचनाओं के अनुसार, चयनित वृत्तों के 2,212 व्यवहारियों ने वर्ष 2011-12 के लिए उनकी वार्षिक विवरणियाँ प्रस्तुत नहीं की थी। राजविस्टा पर उपलब्ध डी.सी.आर. की संवीक्षा में पाया गया कि आठ वृत्तों¹³ के निर्धारण प्राधिकारियों ने 151 व्यवहारियों का निर्धारण नहीं किया था। इसके अतिरिक्त, विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना की संवीक्षा में पाया गया कि इन 151 व्यवहारियों में से 11 व्यवहारियों ने राशि ₹ 60.95 लाख के माल की बिक्री पर 51 पंजीकृत व्यवहारियों से कर राशि ₹ 3.09 लाख एकत्रित किये थे। इसके परिणामस्वरूप ₹ 10.67 लाख का कर, ब्याज एवं शास्ति का आरोपण नहीं हो सका।

¹² वृत्त: जयपुर-डी, जयपुर-जे, जयपुर-एन और जयपुर-विशेष-III

¹³ वृत्त: भिवाड़ी-बी, भीलवाडा-विशेष, जयपुर-डी, जयपुर-जे, जयपुर-एन, जोधपुर-ए, नागौर और उदयपुर-बी।

इन व्यवहारियों के निर्धारण नहीं किये जाने के कारण राजविस्टा पर उपलब्ध नहीं थे। ये सभी प्रकरण फरवरी 2014 में कालातीत/अवधिपार हो गये थे। परिणामतः इन प्रकरणों एवं अन्य वृत्तों में ऐसे ही प्रकरणों के कर निर्धारण नहीं किये जाने से करापवचना और राजस्व हानि से इंकार नहीं किया जा सकता।

सरकार ने उत्तर दिया (नवम्बर 2015) की वर्ष 2011-12 हेतु सभी निर्धारण धारा 23 एवं 24 के अन्तर्गत पारित कर दिये गये हैं एवं जहाँ व्यवहारी ने वार्षिक विवरणी प्रस्तुत नहीं की थी उनका निर्धारण तिमाही विवरणियों के आधार पर कर दिया गया है।

उत्तर स्वीकार नहीं है क्योंकि कर निर्धारणों की सूचना राजविस्टा पर मांग एवं संग्रहण रजिस्टर में उपलब्ध नहीं थी जो कि मांग जारी किये जाने पर निगरानी हेतु प्रमुख दस्तावेज है।

2.4.13 विवरणी के प्रारूप की अपर्याप्तता

वैट प्रणाली के अन्तर्गत कर के आरोपण एवं संग्रहण का आधार व्यवहारी द्वारा सही एवं पूर्ण विवरणी प्रस्तुत करना है। इसलिए यह आवश्यक है कि विवरणियाँ इस प्रकार से विहित की जावे की सभी आवश्यक जानकारियाँ प्राप्त की जा सकें। लेखापरीक्षा ने वैट विवरणियों में कई कमियाँ पाईं जिनकी चर्चा नीचे की गयी है:

2.4.13.1 प्रपत्र वैट-10 में करमुक्त वस्तुओं के नाम से सम्बन्धित जानकारी का अभाव होना

राजस्थान वैट अधिनियम की अनुसूची- I में करमुक्त वस्तुओं को 136 प्रविष्टियों में वर्गीकृत किया गया है। ये प्रविष्टियाँ विभागीय वेबसाइट 'राजटेक्स' पर उपलब्ध हैं जो कि सभी के लिए सुलभ है। पारदर्शिता एवं कर के सही निर्धारण हेतु यह आवश्यक है कि व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत विवरणी में करमुक्त वस्तु का नाम उल्लेखित किया जावे।

यह पाया गया कि करयोग्य वस्तु का नाम दर्शाने हेतु कॉलम थे तथापि तिमाही विवरणी प्रपत्र वैट-10 में व्यवहारी द्वारा विक्रय किये गये करमुक्त माल का नाम दर्शाने हेतु कोई कॉलम नहीं बनाया गया। राजविस्टा पर उपलब्ध जानकारी की संवीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2011-12 के दौरान चयनित वृत्तों के 7,101 व्यवहारियों ने ₹ 37,601.02 करोड़ का माल करमुक्त माल के रूप में विक्रय किया था। वस्तुओं के नाम के अभाव में लेखापरीक्षा द्वारा यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि व्यवहारियों ने वस्तुओं को करमुक्त सही रूप से वर्गीकृत किया था।

चयनित वृत्तों के कर निर्धारण अभिलेखों में उपलब्ध अन्य जानकारियों की संवीक्षा में पाया गया कि व्यवहारियों द्वारा जिन वस्तुओं को करमुक्त दर्शाया गया था वे राजस्थान वैट अधिनियम के अन्तर्गत करमुक्त नहीं थी। कुछ उदाहरण नीचे दिये गये हैं:

(i) राजस्थान वैट अधिनियम की अनुसूची-IVबी की प्रविष्टि संख्या 172 के अनुसार 'जूट या फाइबर आधारित कपड़े के बने हुये थैले और बोरे, जो पैकिंग के काम में आते हैं' पांच प्रतिशत की दर से करयोग्य थे। हालांकि, राजस्थान वैट अधिनियम की अनुसूची-I की प्रविष्टि संख्या 63 के अनुसार 'पुराने जूट के बोरे और पुराने एचडीपीई के बोरे' कर आरोपण से मुक्त थे बशर्ते की विक्रेता व्यवहारी के पंजीयन प्रमाण-पत्र में ये वस्तुयें उल्लेखित हों।

विशेष वृत्त-तृतीय, जयपुर के निर्धारण अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि दो व्यवहारियों (मैसर्स एन.के.प्रोटिन्स लि. टिन 08561705747 तथा मैसर्स पिंकसिटी ऑयल प्रोडक्ट्स प्राइवेट लि. टिन 08601650823) ने वर्ष 2011-12 की विवरणियों में करमुक्त वस्तुओं की ₹ 34.62 करोड़ की बिक्री घोषित की थी। निर्धारण प्राधिकारी ने कर निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय त्रुटिपूर्वक पुराना बारदाना (बोरे) को करमुक्त वस्तु मान लिया जो कि व्यवहारी के पंजीयन प्रमाण-पत्र में दर्ज नहीं था। निर्धारण प्राधिकारी ने इस टर्नओवर पर पांच प्रतिशत की दर से कर ₹ 1.73 करोड़ तथा ब्याज ₹ 72.66 लाख का आरोपण नहीं किया।

(ii) एक अन्य व्यवसायी (मैसर्स भारत पोटरीज लि. टिन 08371652938) ने वर्ष 2011-12 में ₹ 4.71 करोड़ मूल्य के माल की बिक्री अनुसूची-I के अन्तर्गत करमुक्त घोषित की। निर्धारण प्राधिकारी ने निर्धारण करते समय इस माल पर कर आरोपित नहीं किया। राजविस्टा पर उपलब्ध व्यवहारी के पंजीयन प्रमाण-पत्र की संवीक्षा में पाया गया कि व्यवहारी अनुसूची-I में वर्णित किसी करमुक्त वस्तु के व्यवसाय से सम्बद्ध नहीं था। तथापि वस्तु के नाम के अभाव में इस टर्नओवर पर आरोपणीय कर की गणना नहीं की जा सकी।

सरकार ने उत्तर दिया (नवम्बर 2015) कि नामकरण की संगत प्रणाली (एच.एस.एन.) के अभाव में करमुक्त वस्तुओं के नाम का विवरण प्राप्त नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त सरकार ने यह भी बताया कि निर्धारण प्राधिकारी के लिए यह आवश्यक है कि सशर्त करमुक्त होने पर पंजीयन प्रमाण-पत्र में उन वस्तुओं को सत्यापित करें।

सरकार का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि करमुक्त वस्तुओं के नाम राजस्थान वैट अधिनियम की अनुसूची-I में पहले से ही दर्शाये गये हैं। इसके अतिरिक्त, सशर्त करमुक्त होने पर भी वस्तुओं के नाम के अभाव में निर्धारण प्राधिकारी करमुक्त टर्नओवर की सत्यता सुनिश्चित नहीं कर सकता है।

2.4.13.2 ऑयल कम्पनियों द्वारा प्राप्त आगत कर लाभ को सत्यापित करने हेतु आवश्यक विवरणों का प्रपत्र वैट-10 में अभाव

अधिसूचना दिनांक 10 नवम्बर 2008 के अनुसार, राज्य के भीतर जब ऑयल कम्पनियों के मध्य हाई एवं लाईट डीजल ऑयल और पेट्रोल की बिक्री होती है तो क्रेता कम्पनी को ऐसी खरीद पर शुद्ध विक्रय मूल्य अथवा खरीद मूल्य जो भी कम हो के पांच प्रतिशत (चार प्रतिशत 6 जून 2010 तक) तक के आगत कर

लाभ राशि को अनुमत्य किया जावेगा। तथापि, विवरणी प्रपत्र वैट-10 में इन संव्यवहारों से सम्बन्धित क्रय मूल्य और शुद्ध विक्रय मूल्य को दर्शाने हेतु कोई कॉलम नहीं था। इन कम्पनियों ने वर्ष 2011-12 के दौरान एक-दूसरे से माल की खरीद राशि ₹ 1,467.20 करोड़ पर ₹ 73.36 करोड़ का आगत कर लाभ की मांग की थी। निर्धारण प्राधिकारी ने खरीद एवं बिक्री राशि का सत्यापन किये बिना ही मांग की गयी सम्पूर्ण आगत कर लाभ राशि को अनुमत्य कर दिया। इन विवरणों के बिना ऑयल कम्पनियों द्वारा मांग की गयी आगत कर लाभ की शुद्धता को लेखापरीक्षा द्वारा नहीं जांचा जा सका।

सरकार ने उत्तर दिया (नवम्बर 2015) कि राज्य में केवल तीन ऑयल कम्पनियाँ कार्य कर रही हैं और इन कम्पनियों के द्वारा किये गये क्रय/विक्रय और आगत कर लाभ की पूर्ण निगरानी की जा रही है। तथापि, इन कम्पनियों द्वारा मांग की गयी आगत कर लाभ की शुद्धता को जांचने हेतु नियमित क्रियाविधि नहीं पाई गई। उत्तर इसलिए भी स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विवरणी में क्रय मूल्य और शुद्ध विक्रय मूल्य को दर्शाने वाले कॉलम के अभाव में निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा कम्पनियों से सूचनाएँ मंगवाये बिना आगत कर लाभ की शुद्धता को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है।

2.4.13.3 अनुदानित मूल्य पर विक्रय से सम्बन्धित आवश्यक सूचनाओं का प्रपत्र वैट-10 एवं वैट-10ए में अभाव

राज्य सरकार ने राजस्थान वैट अधिनियम की धारा 18 में एक उप-धारा 3ए सम्मिलित (मार्च 2011) की थी। इस उप-धारा को सम्मिलित करने के उद्देश्यों एवं कारणों का विवरण (वित्त विधेयक 2011-12) निम्नलिखित प्रकार से था:

‘कतिपय व्यापारों में माल का विक्रय किया जा रहा है और ऐसे विक्रयों पर क्रेता से कर वसूला जा रहा है किन्तु पश्चातवर्ती स्तर पर, क्रय करने वाले व्यवहारियों को विक्रेता क्रेडिट नोट या सब्सिडी आदि के रूप में प्रोत्साहन राशि प्रदान करता है। ऐसे सहायता प्राप्त करने वाले व्यवहारी सहायता-प्राप्त दरों का माल विक्रय करने के पश्चात पूर्ववर्ती स्तर पर संदत्त कर के प्रतिदाय का दावा करते हैं। इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए राजस्थान वैट अधिनियम, 2003 की धारा 18 में एक नयी उपधारा (3ए) अन्तःस्थापित की जानी प्रस्तावित है।’ तदनुसार, यदि कोई माल राज्य में खरीदा जाता है और इसके पश्चात सहायता-प्राप्त दरों पर विक्रय किया जाता है तो इस धारा के अन्तर्गत ऐसे माल पर देय आगत कर लाभ, ऐसे माल पर भुगतान किये जाने वाले आउटपुट कर से ज्यादा नहीं होगा।

इस प्रावधान की पालना सुनिश्चित करने हेतु विवरणी में दो सूचनाओं की आवश्यकता थी जैसे कि क्रेता को प्राप्त प्रोत्साहन/बट्टा/सहायता राशि और विक्रय की गई वस्तुओं का क्रय मूल्य। तथापि, विवरणी-प्रपत्रों जैसे कि वैट-10 एवं 10ए की संवीक्षा में पाया गया कि इन विवरणों को दर्शाने हेतु कोई कॉलम नहीं था। व्यवहारियों द्वारा पालना के स्तर को जांचने हेतु, वृत्त विशेष-राजस्थान, जयपुर में

पंजीकृत टायर विक्रेता व्यवहारी द्वारा क्रेता व्यवहारियों को वर्ष 2011-12 के लिये प्रोत्साहन/बट्टा/सहायता राशि हेतु जारी किये गये क्रेडिट नोट्स की सूचनाओं को एकत्रित किया गया तथा इन का प्रतिसत्यापन 55 क्रेता व्यवहारियों¹⁴ की राजविस्टा पर उपलब्ध वैट विवरणियों से किया गया। यह पाया गया कि 22 क्रेता व्यवहारियों ने माल सहायता-प्राप्त¹⁵ दर पर विक्रय किया था। तथापि इन व्यवहारियों ने धारा 18(3ए) के अनुसार राशि ₹ 1.17 करोड़ का रिवर्स कर अपनी विवरणियों में नहीं दर्शाया था।

राजविस्टा पर उपलब्ध सूचना के अनुसार 20 व्यवहारियों के कर निर्धारणों को अन्तिम रूप देते समय निर्धारण प्राधिकारियों ने कोई मांग कायम नहीं की। दो व्यवहारियों के निर्धारण राजविस्टा पर उपलब्ध नहीं थे। इस प्रकार वांछित सूचनायें विवरणियों में उपलब्ध नहीं होने के कारण निर्धारण प्राधिकारी राशि ₹ 1.14 करोड़ का रिवर्स कर साथ ही शास्ति ₹ 2.29 करोड़ एवं ब्याज ₹ 48.06 लाख का आरोपण 20 व्यवहारियों पर नहीं कर सके। इसके अतिरिक्त चार प्रकरणों में व्यवहारियों ने व्यापार खाता वार्षिक विवरणी के साथ प्रस्तुत नहीं किया। जिसके कारण लेखापरीक्षा द्वारा धारा 18(3ए) का प्रभाव इन चार प्रकरणों में जांचा नहीं जा सका।

आयुक्त, वाणिज्यिक कर ने समापन सभा में विश्वास दिलाया की सूचनाओं को विवरणियों में प्राप्त किये जाने की सम्भावना को जांचा जावेगा।

2.4.14 विवरणियों में पूर्ण सूचनाओं के बिना डीमड कर निर्धारण

प्रत्येक व्यवहारी को अधिनियम के तहत अपने कर दायित्व का स्वः निर्धारण कर, विवरणी निर्धारित समय व प्रारूप में प्रस्तुत करना आवश्यक है। व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत की गयी प्रत्येक विवरणी आयुक्त, वाणिज्यिक कर द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार निर्धारण प्राधिकारी द्वारा जांच के अधीन होगी। आयुक्त, वाणिज्यिक कर ने निर्देश जारी किये (22 अप्रैल 2013) कि यदि किसी व्यवहारी ने अपनी विवरणी समय पर प्रस्तुत की है तथा अपना कर समय पर भुगतान कर दिया है तो विभाग द्वारा व्यवहारी का कर निर्धारण किया हुआ समझा जायेगा। फिर भी, यह अंतर्निहित है कि प्रत्येक व्यवहारी उसके द्वारा किये गये सभी संव्यवहारों के सम्बन्ध में सही एवं पूर्ण विवरणी प्रस्तुत करेगा।

उपरोक्त प्रावधानों की व्यवहारियों तथा निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा अनुपालना को सुनिश्चित करने के लिए चयनित वृत्तों में उच्चतम टर्नओवर के आधार पर शीर्ष 550 व्यवहारियों की वर्ष 2011-12 की वार्षिक विवरणियों की मापक जांच की गयी। यह पाया गया कि इन व्यवहारियों में से 295 व्यवहारी का डीमड निर्धारण हुआ। इन डीमड निर्धारण के प्रकरणों की जांच में पाया गया कि व्यवहारियों द्वारा

¹⁴ क्रेता व्यवहारियों का चयन विक्रेता व्यवहारी से वर्ष 2011-12 के किसी भी तिमाही में सर्वाधिक माल क्रय करने के आधार पर किया गया।

¹⁵ विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम था एवं व्यवहारी ने प्रोत्साहन/बट्टा/सहायता प्राप्त की थी।

विवरणियों में अपूर्ण सूचनायें दी गई थी, जैसे, 69 विवरणियों में व्यापार खाता प्रस्तुत नहीं किया गया, 96 विवरणियों में उपयोग में लिये गये घोषणा प्रपत्रों का विवरण नहीं दिया गया, 20 विवरणियों में ऑकड़ों में अन्तर पाया गया तथा 37 विवरणियों में व्यवसाय की प्रकृति नहीं दर्शायी गयी। इन कमियों के उपरान्त भी व्यवहारियों का डीमड निर्धारण हुआ। अतः इन प्रकरणों का निर्धारण उचित सुनवाई के बाद एवं रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर होना चाहिये था। यह पाया गया कि निर्धारण प्राधिकारियों ने इन सभी प्रकरणों में डीमड कर निर्धारण मानते समय विवरणियों में अप्राप्त सूचनाओं की अनदेखी की। इसलिए आगत कर लाभ की अनियमित स्वीकृति एवं कर के कम आरोपण की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।

इस सम्बन्ध में अन्य राज्यों में व्यवहारियों द्वारा सूचनाओं के प्रस्तुत करने सम्बन्धी प्रावधानों की समीक्षा की गयी। यह पाया गया कि वाणिज्यिक कर विभाग, कर्नाटक ने डेबिट नोट या क्रेडिट नोट जारी या प्राप्त किये गये सहित माल के बीजक वार क्रय/विक्रय तथा विक्रय या क्रय के अलावा माल के स्थानान्तरण/प्राप्ति का विवरण विभागीय वेबसाइट पर आनलाइन प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में एक अधिसूचना (29 अप्रैल 2014) जारी की। राजस्थान वैट अधिनियम/नियमों में समरूप प्रावधानों को लागू करना राजस्व के रिसाव को रोकने में विभाग की सहायता कर सकता है।

सरकार ने उत्तर दिया (नवम्बर 2015) कि 14 जुलाई 2014 से व्यापार खाते को वैट-10ए का अनिवार्य हिस्सा बनाया गया है। यह भी बताया गया कि ऐसे प्रकरणों के पुनः निर्धारण के सम्बन्ध में, धारा 26 केवल अपूर्ण सूचनाओं के आधार पर पुनः निर्धारण के लिये कार्यवाही करने की अनुमति नहीं देती है।

उत्तर व्यवहारियों द्वारा विवरणियाँ प्रस्तुत किये जाने पर उनकी सही व पूर्ण जांच को सुनिश्चित करने के लिए विभाग द्वारा अपनाये गये उपायों को नहीं दर्शाता है।

2.4.15 व्यवसाय लेखापरीक्षा निर्धारण

राजस्थान वैट अधिनियम की धारा 27 में प्रावधान है कि आयुक्त, वाणिज्यिक कर अधिनियम की पालना को प्रोत्साहित करने के लिए चयनित¹⁶ पंजीकृत व्यवहारियों के व्यवसाय की लेखापरीक्षा कराने की व्यवस्था कर सकता है। लेखापरीक्षा के दौरान यदि व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत विवरणियाँ सही नहीं पायी जाती हैं या किसी भी कर अपवंचन या परिवर्जन का पता चलता है तो निर्धारण प्राधिकारी व्यवहारी को एक कारण बताओं नोटिस जारी करेगा और व्यवहारी के जवाब को शामिल करते हुये उसके कर व अन्य दायित्वों का निर्धारण करेगा तथा ऐसे आदेश को मांग आदेश सहित जारी करने से पूर्व अपने से उच्च अधिकारी से अनुमोदित करायेगा।

¹⁶ आयुक्त वाणिज्यिक कर व्यवहारियों का चयन किसी भी मानदण्ड को लागू करके या चयन करने की रेण्डम प्रणाली या अन्य किसी की जिनके बारे में यह विश्वास किया जावे कि उनके व्यवसाय की विस्तृत संवीक्षा की आवश्यकता है।

यदि व्यवहारी जवाब प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो निर्धारण प्राधिकारी व्यवहारी के दायित्व का निर्धारण अपने सर्वोत्तम विवेक से करेगा। इसके अतिरिक्त राजस्थान वैट नियमों के नियम 47(3) में प्रावधान है कि लेखापरीक्षा के पूर्ण होने पर लेखापरीक्षक लेखापरीक्षा के समय पाई गयी कमियों, यदि कोई हो, को दर्शाते हुये एक 'लेखापरीक्षा रिपोर्ट' तैयार करेगा। विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं/अभिलेखों की जांच में निम्न कमियाँ पायी गयी:

2.4.15.1 सुचारू रूप से राजस्व वसूली को सुनिश्चित करने तथा व्यवहारियों द्वारा घोषित कर व देय कर के मध्य अन्तर को समाप्त करने के लिए व्यवसाय लेखापरीक्षा एवं इसके परिणामस्वरूप कर निर्धारण बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त, राजस्थान वैट अधिनियम की धारा 27(6) के अनुसार, सम्बन्धित वर्ष की समाप्ति के पांच वर्ष पश्चात् व्यवसाय लेखापरीक्षा के लिए कोई भी नोटिस जारी नहीं किया जा सकता है। व्यवसाय लेखापरीक्षा के लिए चयनित एवं लेखापरीक्षित व्यवहारियों की सम्पूर्ण स्थिति निम्न प्रकार थी:

व्यवसाय लेखापरीक्षा का वर्ष	पंजीकृत व्यवहारियों की कुल संख्या	मापदण्ड/कसौटी के अनुसार व्यवहारियों की संख्या जिनका चयन किया जाना था	चयनित व्यवहारियों की वास्तविक संख्या (कमी प्रतिशत में)	वर्ष 2014-15 तक किये गये व्यवसाय लेखापरीक्षा की वास्तविक संख्या	वास्तविक कमी (कमी प्रतिशत में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2009-10	3,76,688	18,834	5,776(69)	2,570	3,206(55)
2010-11	4,09,323	20,466	7,313(64)	2,352	4,961(67)
2011-12	4,40,842	22,042	1,297(94)	827	470(36)

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि चयनित व्यवहारियों की लेखापरीक्षा करने में 36 से 67 प्रतिशत तक भारी कमी रही। व्यवसाय लेखापरीक्षा करने में कमी के कारण व्यवसाय लेखापरीक्षा हेतु 3,206 निर्धारण प्रकरण कालातीत हो गये। इसके अतिरिक्त कम संख्या में व्यवसाय लेखापरीक्षा करने से निर्धारण प्राधिकारियों को इस बात की छूट मिलती है कि वे अपनी इच्छानुसार व्यवसाय लेखापरीक्षा के लिए मामलों को चुने जो गलत परिपाटी को बढ़ावा दे सकती है।

व्यवसाय लेखापरीक्षा की संभाग-वार स्थिति की जांच में पाया गया कि:

- वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 के लिए पांच संभागों¹⁷ ने व्यवसाय लेखापरीक्षा हेतु किसी भी व्यवहारी का चयन नहीं किया;

¹⁷ संभाग: भीलवाडा, बीकानेर, जोधपुर, पाली और उदयपुर।

- वर्ष 2011-12 के लिये पांच संभागों ने किसी भी व्यवहारी का चयन नहीं किया, छः संभागों¹⁸ ने केवल 17 व्यवहारियों का चयन किया तथा दो संभागों¹⁹ ने 1,280 व्यवहारियों अर्थात् कुल चयन का 99 प्रतिशत का चयन किया।

उपरोक्त तथ्य दर्शाते हैं कि विभागीय अधिकारियों ने आयुक्त, वाणिज्यिक कर द्वारा जारी निर्देशों की पालना नहीं की। यथेष्ट रूप से व्यवसाय लेखापरीक्षा करने में असफल रहने के परिणामस्वरूप व्यवहारियों द्वारा प्रस्तुत की गई विवरणियों की सत्यता एवं राजस्व रिसाव की रोकथाम को सुनिश्चित नहीं किया गया।

सरकार ने लेखापरीक्षा के मत को स्वीकार किया और उत्तर दिया (नवम्बर 2015) कि वर्ष 2009-10 से 2011-12 के दौरान व्यवसाय लेखापरीक्षा मापदण्डों के अनुसार नहीं की जा सकी क्योंकि निर्धारण अधिकारियों का अधिकांश समय निर्धारण एवं आई.टी.सी. सत्यापन से सम्बन्धित समस्याओं के समाधान में ही व्यतीत हो गया।

2.4.15.2 लेखापरीक्षा प्रक्रिया को सरल एवं कारगर बनाने तथा इसे प्रभावशाली बनाने के लिए विभिन्न प्रक्रियात्मक व अन्य पहलुओं को शामिल करते हुये विभाग द्वारा नौ वर्ष व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी कोई लेखापरीक्षा मैनुअल नहीं बनायी गयी। जबकि ऐसे मैनुअल, वाणिज्यिक कर विभाग उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एवं आन्ध्रप्रदेश द्वारा बना लिये गये थे।

सरकार ने उत्तर दिया (नवम्बर 2015) कि व्यवसाय लेखापरीक्षा के सम्बन्ध में समय-समय पर पत्रों व परिपत्रों द्वारा निर्देश जारी किये गये तथा विस्तृत निर्देश 1 मई 2013 को जारी किये गये।

2.4.15.3 आयुक्त, वाणिज्यिक कर ने व्यवसाय लेखापरीक्षा के लिए कुल पंजीकृत व्यवहारियों के पांच प्रतिशत का चयन करने हेतु 2011, 2012 एवं 2013 में मापदण्ड निर्धारित किये गये। राजविस्टा पर विभाग के ऑकड़ों की जांच में पाया गया कि मापदण्डों के अनुसार व्यवहारियों के चयन हेतु वांछित विवरण जैसे कि प्रोत्साहन/आस्थगन योजनाओं के लाभान्वित व्यवहारी, अपवंचना सम्भावित वस्तुयें, व्यवहारी जिनके विरुद्ध कर के अपवंचन/अपवर्जन के मामले पाये गये आदि उपलब्ध नहीं थे। व्यवहारियों का चयन के लिए वांछित ऑकड़ों के अभाव में चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता का अभाव था।

सरकार ने उत्तर दिया (नवम्बर 2015) कि सन्दर्भित वर्षों के दौरान विवरणी का ऑनलाइन प्रस्तुतीकरण अनिवार्य नहीं था तथा इस प्रकार राजविस्टा प्रणाली इस उद्देश्य के लिए पूर्णरूप से प्रभावी नहीं थी। यह भी बताया गया कि वर्तमान में प्रकरणों का चयन वैज्ञानिक पद्धति से किया जा रहा है।

¹⁸ संभाग: भीलवाड़ा, बीकानेर, जयपुर-1, जोधपुर, श्रीगंगानगर और उदयपुर।

¹⁹ संभाग: अलवर और कोटा।

2.4.15.4 वर्ष 2009-10 से 2011-12 के लिए व्यवसाय लेखापरीक्षा हेतु व्यवहारियों के चयन के लिए निर्धारित मापदण्डों की जांच में पाया गया कि सभी प्रकार के पंजीकृत व्यवहारियों का चयन करने के बजाय, चयन या तो कर का भुगतान करने वाले व्यवहारियों या विवरणियों प्रस्तुत नहीं करने वाले व्यवहारियों में से किया गया। उन व्यवहारियों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया जिन्होंने शून्य टर्नओवर की विवरणियाँ प्रस्तुत की थी।

राज्य में ऐसे व्यवहारियों द्वारा सम्भावित कर अपवंचन को जांचने के लिए विभाग को राजविस्टा के माध्यम से वर्ष 2011-12 के लिए एक रिपोर्ट तैयार करने का अनुरोध किया गया जिसमें अन्य पंजीकृत व्यवहारियों द्वारा ऐसे व्यवहारियों से क्रय करना दर्शाया हो। इस रिपोर्ट की जांच में पाया गया कि 1,440 पंजीकृत व्यवहारियों, जिन्होंने ₹ 176.37 करोड़ का माल बेचा और राशि ₹ 11.39 करोड़ का कर वसूल किया, ने अपनी विवरणियाँ शून्य टर्नओवर की प्रस्तुत की। राजविस्टा पर उपलब्ध डी.सी.आर. के अनुसार इन व्यवहारियों के विरुद्ध कोई माँग कायम नहीं की गयी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 11.39 करोड़ के कर, ₹ 22.78 करोड़ की शास्ति तथा ₹ 4.78 करोड़ के ब्याज का अनारोपण हुआ।

इसके अतिरिक्त, राजविस्टा पर उपलब्ध डी.सी.आर. के अनुसार निर्धारण प्राधिकारियों ने 145 पंजीकृत व्यवहारियों के विरुद्ध केवल ₹ 18 लाख की माँग कायम की जिन्होंने ₹ 971.52 करोड़ का माल बेचा तथा ₹ 12.03 करोड़ का कर एकत्रित किया था लेकिन उनकी विवरणियों में शून्य टर्नओवर दर्शाया गया था। इसके परिणामस्वरूप कर ₹ 11.85 करोड़, शास्ति ₹ 23.71 करोड़ तथा ब्याज ₹ 4.98 करोड़ का कम आरोपण हुआ।

सरकार ने उत्तर दिया (नवम्बर 2015) कि व्यवहारी जिन्होंने शून्य टर्नओवर घोषित किया था की व्यवसाय लेखापरीक्षा करना तर्कसंगत नहीं था क्योंकि ऐसे प्रकरण प्रतिकरापवंचन शाखा द्वारा देखे जाते हैं। तथापि प्रतिकरापवंचन शाखा द्वारा देखे गये ऐसे प्रकरणों के परिणाम प्रेषित नहीं किये गये।

2.4.15.5 त्रुटिपूर्ण व्यवसाय लेखापरीक्षा निर्धारण

राजस्थान वैट अधिनियम, राज्य में 2006 से लागू किया गया। फिर भी, आयुक्त, वाणिज्यिक कर ने राजस्थान वैट अधिनियम की धारा 27 के तहत व्यवहारियों की लेखापरीक्षा करने के लिए दिशा निर्देश देरी से जारी (1 मई 2013) किये। इसके उपरान्त विभाग द्वारा सूचित (जून 2015) किये अनुसार सम्पूर्ण राज्य में वर्ष 2013-14 के दौरान 1,818 व्यवसाय लेखापरीक्षा निर्धारण किये गये।

सूचना की जांच में पाया गया कि निष्पादन लेखापरीक्षा हेतु चयनित 11 वृत्तों में से विभाग ने वर्ष 2013-14 के दौरान पांच चयनित वृत्तों²⁰ में 336 व्यवहारियों की व्यवसाय लेखापरीक्षा की। इन व्यवसाय लेखापरीक्षा निर्धारण आदेशों को उपलब्ध

²⁰ वृत्त: भिवाड़ी-बी, जयपुर-डी, जयपुर-जे, जयपुर-एन और जयपुर विशेष-गा

कराने हेतु कहे जाने पर विभाग चार चयनित वृत्तों²¹ के केवल 182 व्यवसाय लेखापरीक्षा निर्धारण आदेश ही उपलब्ध करा सका। विभाग द्वारा वृत्त विशेष-III, जयपुर के व्यवसाय लेखापरीक्षा निर्धारण आदेश उपलब्ध नहीं कराये गये। शेष छः वृत्तों²² ने वर्ष 2013-14 के दौरान व्यवसाय लेखापरीक्षा निर्धारण नहीं किये। इन व्यवसाय लेखापरीक्षा निर्धारणों की जांच में पाया गया कि निर्धारण प्राधिकारियों ने 109 प्रकरणों में निर्दिष्ट प्रश्नावली की पूर्ति नहीं की; निर्धारण प्राधिकारियों ने 59 प्रकरणों में निर्दिष्ट चैक लिस्ट का पालन नहीं किया; 17 प्रकरणों में आयकर विवरणी का प्रतिसत्यापन नहीं किया गया तथा निर्धारण प्राधिकारियों ने 23 प्रकरणों में व्यवहारियों द्वारा व्यवहारित वस्तुओं के नाम तक नहीं दर्शाये। 22 प्रकरणों में गाइडलाइन का पूर्ण रूप से पालन ही नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त नौ प्रकरणों में व्यवसाय लेखापरीक्षा नहीं की गयी क्योंकि व्यवहारियों ने व्यवसाय बन्द कर दिया था।

सरकार ने लेखापरीक्षा के मत को स्वीकार किया तथा उत्तर दिया (नवम्बर 2015) कि नियमित निर्धारण प्राधिकारियों ने ही व्यवसाय लेखापरीक्षा की एवं समय और अधिकारियों की कमी के कारण व्यवसाय लेखापरीक्षा उचित ढंग से नहीं की गयी। यह भी कहा गया कि व्यवसाय लेखापरीक्षा को सुदृढ़ करने के लिए अब प्रत्येक संभाग में दो लेखापरीक्षा वृत्त बनाये गये हैं और व्यवसाय लेखापरीक्षा प्रभावी रूप से करने के लिए विस्तृत निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

2.4.16 क्षेत्राधिकार के बिना व्यवहारियों का निर्धारण

आयुक्त, वाणिज्यिक कर द्वारा जारी आदेश (31 मार्च 2011) के अनुसार सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी एक करोड़ तक के टर्नओवर वाले व्यवहारियों का निर्धारण कर सकता था। वर्ष 2011-12 के लिए राजविस्टा पर उपलब्ध सूचना की जांच में पाया गया कि चयनित वृत्तों²³ के 22 सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारियों ने ₹ एक करोड़ से अधिक टर्नओवर वाले 143 व्यवहारियों का निर्धारण कर दिया। इस प्रकार सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारियों ने व्यवहारियों के निर्धारण हेतु क्षेत्राधिकार के बिना ही इनका निर्धारण कर दिया। निगरानी प्राधिकारी भी इस अनियमितता का पता नहीं लगा सके।

आयुक्त, वाणिज्यिक कर ने समापन सभा के दौरान बताया कि उक्त सन्दर्भित प्रकरणों में से कुछ प्रकरणों की जांच की गई और पाया कि इनका निर्धारण सहायक आयुक्तों/वाणिज्यिक कर अधिकारियों द्वारा किया गया था तथा विसंगति पदोन्नत पद को नहीं दर्शाने के कारण हो सकती है।

²¹ वृत्त: भिवाड़ी-बी, जयपुर-डी, जयपुर-जे और जयपुर-एन।

²² विशेष वृत्त: भीलवाड़ा, पाली और राजस्थान जयपुर; नियमित वृत्त: जोधपुर-ए, नागौर और उदयपुर-बी।

²³ वृत्त: भिवाड़ी-बी (तीन स.वा.क.अ.), जयपुर-डी (पांच स.वा.क.अ.), जयपुर-जे (तीन स.वा.क.अ.), जयपुर-एन (दो स.वा.क.अ.), जोधपुर-ए (पांच स.वा.क.अ.), नागौर (तीन स.वा.क.अ.) और उदयपुर-बी (एक स.वा.क.अ.)।

2.4.17 लेखों की लेखापरीक्षा

राजस्थान वैट अधिनियम की धारा 73 के अनुसार, ऐसा व्यवहारी जिसने धारा 3 की उपधारा (2) या धारा 5 के अधीन कर अदा करने का विकल्प चुना है या कोई व्यवहारी या ऐसे व्यवहारियों का वर्ग जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाये, के अलावा प्रत्येक पंजीकृत व्यवहारी जिसका एक वर्ष में सकल टर्नओवर ₹ एक करोड़ से अधिक है, ऐसे वर्ष की लेखा पुस्तकें चार्टर्ड लेखाकार/लागत लेखाकार²⁴ से उस वर्ष के अन्त में निर्धारित अवधि में लेखापरीक्षा करवाएगा।

तथापि, अधिसूचना दिनांक 25 फरवरी 2008 द्वारा ऐसे व्यवहारियों को, जिन्होंने निर्धारित दस्तावेजों सहित ई-रिटर्न प्रस्तुत की, लेखा पुस्तकों की लेखापरीक्षा कराने से मुक्त कर दिया गया। इसके अतिरिक्त अधिसूचना दिनांक 9 मार्च 2011 द्वारा प्रत्येक व्यवहारी ई-रिटर्न प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी था। इन संशोधनों का प्रभाव यह था कि कोई भी व्यवहारी चार्टर्ड/लागत लेखाकार से अपनी लेखापुस्तकों की लेखापरीक्षा कराने के लिए दायी नहीं था।

इसलिए ₹ एक करोड़ से अधिक टर्नओवर वाले व्यवहारियों की लेखापुस्तकों की लेखापरीक्षा कराने की धारा 73 का उद्देश्य को अप्रभावी कर दिया गया।

इस प्रकार न तो विभागीय अधिकारियों द्वारा व्यवसाय लेखापरीक्षा की गयी और न ही चार्टर्ड/लागत लेखाकार द्वारा एक करोड़ से अधिक टर्नओवर वाले व्यवहारियों की लेखापुस्तकों की लेखापरीक्षा की गई।

सरकार ने उत्तर दिया (नवम्बर 2015) कि प्रपत्र वैट-10ए को लगभग ऐसी सभी सूचनायें प्राप्त करने के लिए बनाया गया है जो वैट रिपोर्ट के प्रारूप में उपलब्ध थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि वार्षिक विवरणी वैट-10ए में निर्दिष्ट व्यापार खाते में सूचनायें जैसे अनुसूची की प्रविष्टि संख्या जिसके अन्तर्गत विक्रय किया गया माल आता है, स्थायी सम्पत्तियों का विक्रय, स्थायी सम्पत्तियों का पूँजीकरण जिन पर पूँजीगत माल के रूप में आगत कर लाभ का दावा किया गया, घोषणा प्रपत्र (वैट-15, सी प्रपत्र, एच प्रपत्र आदि) के विरुद्ध क्रय, नहीं होती है। इसलिए या तो वैट-10ए के प्रारूप को संशोधित करना चाहिये या वैट ऑडिट को आवश्यक बनाया जाना चाहिये।

आगत कर लाभ (आई.टी.सी.)

राजस्थान वैट अधिनियम की धारा 18 के अनुसार पंजीकृत व्यवहारियों को इस धारा में बताये गये प्रयोजनों हेतु राज्य में पंजीकृत व्यवहारियों से क्रय किये गये कर योग्य माल पर आगत कर लाभ इस हेतु निर्धारित तरीके से व सीमा तक दिया जायेगा तथा आगत कर लाभ का दावा मूल वैट बिल के आधार पर जमा

²⁴ (i) चार्टर्ड लेखाकार से आशय चार्टर्ड लेखाकार अधिनियम, 1949 (1949 का केन्द्रीय अधिनियम नं. 38) एवं
(ii) लागत लेखाकार से आशय लागत एवं कार्य लेखाकार अधिनियम, 1959 (1959 केन्द्रीय अधिनियम नं. 23)।

कराये गये कर पर स्वीकार किया जायेगा। राजस्थान वैट नियमों के नियम 19(5) के अनुसार व्यवहारियों द्वारा त्रैमासिक विवरणी प्रपत्र वैट-07ए में क्रय के विवरण तथा प्रपत्र वैट-08ए में विक्रय के विवरण सहित प्रस्तुत की जायेगी।

राजस्थान वैट अधिनियम की धारा 61 में प्रावधान है कि यदि कोई व्यवहारी गलत आगत कर लाभ प्राप्त कर लेता है तो निर्धारण प्राधिकारी ऐसे आगत कर लाभ को रिवर्स करेगा और ऐसे व्यवहारी पर गलत आगत कर लाभ की राशि की दुगुनी पैनल्टी आरोपित करेगा। निर्धारण आदेशों तथा राजविस्टा पर उपलब्ध सूचनाओं की संवीक्षा में निम्नलिखित अनियमिततायें पाई गईं:

2.4.18 बिना सत्यापन किये आगत कर लाभ दिया जाना

आयुक्त, वाणिज्यिक कर ने अगस्त 2009 में निर्देश जारी किये कि आगत कर लाभ के दावे निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा तिमाही विवरणी प्रस्तुत करने की तिथि से छः माह के भीतर सत्यापित कराये जाने चाहिये।

2.4.18.1 चार वृत्तों²⁵ में चयनित 80 निर्धारणों में से 35 निर्धारणों की जांच में पाया गया कि नौ प्रकरणों में निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय आगत कर लाभ ₹ 27.19 करोड़ का दावा बाद में सत्यापन किये जाने की शर्त पर स्वीकार कर लिया गया। तथापि, दो वर्ष व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इन प्रकरणों में आगत कर लाभ का सत्यापन नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त 26 प्रकरणों में निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा कर निर्धारण आदेश में आगत कर लाभ का सत्यापन किये जाने के सम्बन्ध में कोई उल्लेख किये बिना ही आगत कर लाभ ₹ 10.56 करोड़ का दावा स्वीकार किया गया। इन प्रकरणों में लेखापरीक्षा द्वारा यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि आगत कर लाभ सत्यापन के बाद स्वीकार किया गया।

2.4.18.2 वृत्त जयपुर-जे के निर्धारण अभिलेखों की मापक जांच के दौरान पाया गया कि एक व्यवहारी मैसर्स ओमेगा एन्टरप्राइजेज (टिन 08344101089) (क्रेता व्यवहारी) ने मैसर्स ऋषभ कम्प्यूट्रोनिक्स लि. (टिन 08742200154) (विक्रेता व्यवहारी) से वर्ष 2010-11 व 2011-12 के दौरान ₹ 2.40 करोड़ की खरीद दर्शायी तथा ₹ 33.59 लाख के आगत कर लाभ का दावा किया। यह पाया गया कि विक्रेता व्यवहारी ने वसूल किया गया कर जमा नहीं कराया। इसलिये राजस्थान वैट अधिनियम की धारा 18(2) के प्रावधान के अनुसार क्रेता व्यवहारी आगत कर लाभ प्राप्त नहीं कर सकता था। इस प्रकरण में राजस्व पर सम्पूर्ण प्रभाव को जांचने के लिये, विक्रेता व्यवहारी द्वारा किये गये विक्रय को अन्य क्रेता व्यवहारियों द्वारा दावा की गई आगत कर लाभ से प्रतिसत्यापन किया गया।

प्रतिसत्यापन में पाया गया कि नौ क्रेता व्यवहारियों ने विक्रेता व्यवहारी (मैसर्स ऋषभ कम्प्यूट्रोनिक्स लि.) से वर्ष 2010-11 व 2011-12 के दौरान की

²⁵ वृत्त: भीलवाडा विशेष, जयपुर-डी, जोधपुर-ए और उदयपुर-बी।

गई खरीद पर ₹ 84.39 लाख का आगत कर लाभ प्राप्त किया। फिर भी, इन क्रेता व्यवहारियों का निर्धारण करते समय आठ वृत्तों के निर्धारण प्राधिकारियों ने रिवर्स कर ₹ 84.39 लाख तथा ब्याज ₹ 42.34 लाख आरोपित नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप ब्याज ₹ 59.56 लाख, रिवर्स कर राशि ₹ 1.18 करोड़ का आरोपण नहीं हुआ।

यदि निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा आयुक्त, वाणिज्यिक कर के आगत कर लाभ सत्यापन सम्बन्धी निर्देशों की पालना की जाती तो व्यवहारियों द्वारा गलत दावा किये गये आगत कर लाभ के उक्त प्रकरणों को विभाग द्वारा आसानी से पहचाना जा सकता था।

आयुक्त, वाणिज्यिक कर ने समापन सभा के दौरान बताया कि इन प्रकरणों की जांच की जा रही है।

2.4.19 पंजीयन निरस्त हुये व्यवहारियों से क्रय पर आगत कर लाभ की गलत स्वीकृति

ऐसे व्यवहारी जिनका पंजीयन निरस्त हो गया, से क्रय किये गये माल पर आगत कर लाभ के अनियमित दावे के लिए पैनल्टी से बचाव हेतु वेबसाइट 'राजटेक्स' राजस्थान वैट अधिनियम के तहत पंजीकृत व्यवहारी के पंजीयन की स्थिति (क्रियाशील/निरस्त) को जांचने की सुविधा उपलब्ध कराती है। इसके अतिरिक्त, ऐसे अनियमित आगत कर लाभ को जांचने के लिये निर्धारण प्राधिकारियों की सहायता के लिये 'राजविस्टा' पर भी एक मोड्यूल है। लेखापरीक्षा ने आगत कर लाभ के दावे एवं इसकी प्राप्ति की उपयुक्तता को सुनिश्चित करने के लिये राजविस्टा पर उपलब्ध ऑकड़ों/सूचनाओं की जांच की। इसके परिणामों का विवेचन नीचे किया गया है:

2.4.19.1 यह पाया गया कि 10 चयनित वृत्तों²⁶ के 189 व्यवहारियों ने वर्ष 2011-12 के दौरान राशि ₹ 39.58 करोड़ का माल ऐसे विक्रेता व्यवहारियों से क्रय करना दर्शाया जिनका पंजीयन संव्यवहारों की तिथि से पूर्व ही निरस्त हो गया था। इन व्यवहारियों ने अपनी विवरणियों में ₹ 1.93 करोड़ के आगत कर लाभ का दावा किया। इन क्रेता व्यवहारियों का विभाग द्वारा डीमड कर निर्धारण किया गया। इसके परिणामस्वरूप, ₹ 1.93 करोड़ का आगत कर लाभ गलत दिया गया तथा शास्ति ₹ 3.87 करोड़ व ब्याज ₹ 81.24 लाख का अनारोपण हुआ।

2.4.19.2 स्कूटनी निर्धारण के 144 प्रकरणों में पाया गया कि व्यवहारियों ने वर्ष 2011-12 के दौरान राशि ₹ 20.89 करोड़ का माल ऐसे व्यवहारियों से क्रय करना दर्शाया जिनका पंजीयन संव्यवहारों की तिथि से पूर्व ही निरस्त हो गया था। इन व्यवहारियों ने अपनी विवरणियों में ₹ 1.44 करोड़ के आगत कर लाभ का

²⁶ वृत्त: भिवाड़ी-बी, जयपुर-डी, जयपुर-जे, जयपुर-एन, जोधपुर-ए, नागौर, उदयपुर-बी, विशेष भीलवाड़ा, विशेष-जयपुर-III और विशेष-पाली।

दावा किया। फिर भी, इन क्रेता व्यवहारियों के स्कूटनी निर्धारणों को अन्तिम रूप देते समय चयनित वृत्तों के निर्धारण प्राधिकारियों ने इन अनियमितताओं का न तो पता लगाया न ही व्यवहारियों को विवरणियों को संशोधित करने के लिये कहा और न ही अनियमित आगत कर लाभ का दावा करने के लिये रिवर्स कर ₹ 1.44 करोड़ के अतिरिक्त शास्ति ₹ 2.88 करोड़ एवं ब्याज ₹ 60.58 लाख आरोपित किया।

2.4.19.3 यह पाया गया कि 117 व्यवहारियों ने वर्ष 2011-12 के दौरान राशि ₹ 22.44 करोड़ का माल ऐसे विक्रेता व्यवहारियों से क्रय किया जिनका पंजीयन संव्यवहारों की तिथि से पूर्व ही निरस्त हो गया था। इन क्रेता व्यवहारियों ने अपनी विवरणियों में ₹ 1.62 करोड़ के आगत कर लाभ का दावा किया। निर्धारण प्राधिकारियों ने निर्धारणों को अन्तिम रूप देते समय अनियमित आगत कर लाभ के दावे पर रिवर्स कर आरोपित किया। फिर भी, निर्धारण प्राधिकारियों ने अनियमित आगत कर लाभ दावे पर ली जाने वाली शास्ति ₹ 3.24 करोड़ का आरोपण नहीं किया।

राजविस्टा पर सम्बन्धित मोड्यूल उपलब्ध होने के उपरान्त भी, निर्धारण प्राधिकारियों ने व्यवहारियों पर रिवर्स कर, ब्याज एवं शास्ति ₹ 14.78 करोड़ का आरोपण नहीं किया।

आयुक्त, वाणिज्यिक कर ने समापन सभा के दौरान बताया कि इन प्रकरणों की जांच की जा रही है।

2.4.20 आगत कर लाभ का अनियमित दावा

राजस्थान वैट अधिनियम की धारा 18(1) के अनुसार पंजीकृत व्यवहारियों को राज्य में पंजीकृत व्यवहारियों से क्रय किये गये कर योग्य माल को राज्य में विक्रय या अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य में विक्रय हेतु, कर मुक्त माल से भिन्न माल के निर्माण में कच्चे माल के रूप में उपयोग लेने और करमुक्त माल से भिन्न माल के निर्माण में पूंजीगत माल²⁷ के रूप में राज्य में प्रयुक्त किये जाने पर आगत कर लाभ देय होगा।

2.4.20.1 तिमाही विवरणी में आगत कर लाभ का दावा करते समय वस्तु का नाम दर्शाने का प्रावधान था। फिर भी, यह पाया गया कि व्यवहारियों ने उस वस्तु के नाम का उल्लेख नहीं किया जिसके लिये आगत कर लाभ का दावा किया गया था। सूचना के अभाव में अयोग्य माल का आगत कर लाभ गलत रूप से लेने पर निर्धारण प्राधिकारी रिवर्स कर आरोपित नहीं कर सके। इसके प्रभाव को आंकने हेतु कुछ वस्तुओं जैसे जनरेटर सैट, अग्निशमन उपकरण एवं

²⁷ राजस्थान वैट अधिनियम की धारा 2(7) के अनुसार 'पूंजीगत माल' से आशय मशीन और संयंत्र से है जिसमें पुर्जे तथा सहायक पुर्जे शामिल हैं जो कि निर्माण में काम आये, जब तक कि राज्य सरकार द्वारा राजकीय पत्र में अन्यथा अधिसूचित न किया जाये।

ट्रांसफार्मर्स का प्रतिसत्यापन हेतु चयन किया गया जो न तो निर्माण में कच्चा माल के रूप में प्रयुक्त हुये और न ही पूंजीगत माल के रूप में। प्रतिसत्यापन हेतु इन वस्तुओं के 16 विक्रेता व्यवहारियों का चयन विभाग द्वारा प्रकाशित सांख्यिकी सारांश एवं अन्य उपलब्ध सूचनाओं से किया गया। इन व्यवहारियों द्वारा वैट-08ए में दर्शाये गये विक्रय का क्रेता व्यवहारियों के वैट-07ए से मिलान किया गया। यह पाया गया कि 152 व्यवहारियों ने 2011-12 की अवधि के दौरान अयोग्य वस्तुओं के ₹ 9.84 करोड़ के क्रय पर ₹ 64.80 लाख के आगत कर लाभ का दावा किया। राजविस्टा पर उपलब्ध सूचना के अनुसार इन क्रेता व्यवहारियों के विरुद्ध कोई मांग कायम नहीं की गयी। इस प्रकार इन व्यवहारियों द्वारा दावा किये गये आगत कर लाभ ₹ 64.80 लाख को रिवर्स होना था तथा शास्ति ₹ 1.30 करोड़, ब्याज ₹ 27.22 लाख आरोपणीय था।

आयुक्त, वाणिज्यिक कर ने समापन सभा के दौरान बताया कि इन प्रकरणों की जांच की जा रही है।

2.4.20.2 चयनित वृत्तों के निर्धारण अभिलेखों एवं व्यवहारियों द्वारा लिये गये आगत कर लाभ के प्रति सत्यापन करने पर पाया गया कि सात व्यवहारियों ने अयोग्य वस्तुओं के लिये आगत कर लाभ का दावा किया जैसा कि आगामी तालिका में विवेचन किया गया है:

क्र. सं.	क्रेता व्यवहारी का नाम, टिन व वर्ष	वस्तु का नाम जिसके लिये आगत कर लाभ लिया गया	आक्षेपों की प्रकृति
1.	मैसर्स हिन्दुस्तान जिंक लि. टिन: 08059017658 वर्ष: 2010-12 वृत्त विशेष, उदयपुर	विस्फोटक	मैसर्स इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि. भीलवाड़ा, टिन 08041002395 (वृत्त, विशेष भीलवाड़ा) ने व्यवहारी मैसर्स हिन्दुस्तान जिंक लि. को वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 के दौरान विस्फोटक का विक्रय किया। संव्यवहारों का प्रतिसत्यापन करने पर पाया गया कि क्रेता व्यवहारी ने अपनी विवरणियों में उक्त क्रय पर ₹ 5.16 करोड़ के आगत कर लाभ का दावा किया। क्रेता व्यवहारी का व्यवसाय अलौह एवं मूल्यवान धातुओं के खनन, निर्माण व विक्रय का था। क्योंकि व्यवहारी द्वारा निर्मित माल में विस्फोटक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त नहीं हुआ, अतः व्यवहारी को आगत कर लाभ देय नहीं था। फिर भी, निर्धारण प्राधिकारी ने कर निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय रिवर्स कर ₹ 5.16 करोड़, ब्याज ₹ 2.51 करोड़ तथा शास्ति ₹ 10.32 करोड़ का आरोपण नहीं किया।

2.	<p>मैसर्स गोविन्द स्वीट्स प्रा.लि. टिन: 08434101961 वर्ष: 2010-12 वृत्त- जयपुर-जे</p>	<p>एयर कण्डीशनर्स, जनरेटर सेट्स, ई.पी.ए.बी. एक्स. सिस्टम, अग्निशमन उपकरण, इत्यादि</p>	<p>व्यवहारी मिठाइयों का निर्माता एवं विक्रेता था। चूंकि उक्त क्रय किया गया माल मिठाइयों के निर्माण में प्रयुक्त हेतु नहीं था। अतः आगत कर लाभ देय नहीं था। फिर भी, निर्धारण अधिकारी ने निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय रिवर्स कर ₹ 4.86 लाख, ब्याज ₹ 2.33 लाख एवं शास्ति ₹ 9.73 लाख आरोपित नहीं किये।</p>
3.	<p>मैसर्स होण्डा मोटरसाइकिल एण्ड स्कूटर इण्डिया प्रा.लि. टिन: 08134201066 वर्ष: 2011-12 वृत्त- भिवाड़ी-बी</p>	<p>जनरेटर सेट्स</p>	<p>व्यवहारी दोपहिया वाहनो का निर्माता एवं विक्रेता था। जनरेटर सेट व्यवहारी के लिए पूंजीगत माल नहीं थे और इसलिए निर्धारण प्राधिकारी ने जनरेटर सेट पर आगत कर लाभ को अस्वीकार कर दिया। फिर भी, निर्धारण प्राधिकारी ने रिवर्स कर रु. 10.82 लाख के बजाय ₹ 6.50 लाख आरोपित किया। इसके परिणामस्वरूप रिवर्स कर ₹ 4.33 लाख, ब्याज ₹ 1.82 लाख एवं शास्ति ₹ 21.64 लाख का कम आरोपण किया।</p>
4.	<p>(i) मैसर्स श्री बालाजी फूड्स टिन: 08302156940 (ii) मैसर्स आनन्द फ्लोर मिल्स, बस्सी टिन: 08504100129 (iii) मैसर्स राधा गोविन्द फूड प्रोडक्ट्स टिन: 08024100489 वर्ष: 2011-12 वृत्त- जयपुर-जे</p>	<p>गेहूँ</p>	<p>व्यवहारी गेहूँ के आटे के निर्माता थे। व्यवहारियों ने वर्ष 2010-11 के दौरान गेहूँ के क्रय पर ₹ 7.68 लाख का आगत कर लाभ लिया जिसे बाद में वर्ष 2011-12 के दौरान कर मुक्त माल जो कि गेहूँ के आटे के निर्माण में प्रयुक्त किया। इस प्रकार व्यवहारियों को आगत कर लाभ अनुमत्य नहीं था। फिर भी, निर्धारण प्राधिकारी ने निर्धारणों को अन्तिम रूप देते समय रिवर्स कर ₹ 7.68 लाख, ब्याज ₹ 3.69 लाख एवं शास्ति ₹ 15.36 लाख का आरोपण नहीं किया।</p>
5.	<p>मैसर्स परम प्रोडक्ट्स प्रा.लि. टिन: 08211650892 वर्ष: 2011-12 वृत्त- जयपुर विशेष- III</p>	<p>रबर रिंग</p>	<p>व्यवहारी पाईप एवं फिटिंग्स का निर्माता व विक्रेता था। व्यवहारी ने रबर रिंग खरीदे तथा 14 प्रतिशत की दर से ₹ 3.29 लाख का आगत कर लाभ प्राप्त किया। फिर भी, व्यवहारी ने 14 प्रतिशत की दर से कोई माल नहीं बेचा। रबर रिंग अन्तिम उत्पाद है तथा पाईप के निर्माण में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। इस प्रकार व्यवहारी द्वारा लिया गया आगत कर लाभ अनुमत्य नहीं था। फिर भी, निर्धारण प्राधिकारी ने कर निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय रिवर्स कर ₹ 3.29 लाख, ब्याज ₹ 1.38 लाख और शास्ति ₹ 6.58 लाख का आरोपण नहीं किया।</p>

उक्त प्रकरण दर्शाते हैं कि व्यवहारियों ने अस्वीकार्य माल पर आगत कर लाभ लिया। फिर भी, निर्धारण प्राधिकारी छः प्रकरणों में अनियमिता का पता नहीं लगा सके तथा एक प्रकरण में निर्धारण प्राधिकारी ने रिवर्स कर की सही राशि आरोपित नहीं की। इसके परिणामस्वरूप रिवर्स कर, ब्याज एवं शास्ति राशि ₹ 18.82 करोड़ का कम आरोपण/अनारोपण हुआ।

आयुक्त, वाणिज्यिक कर ने समापन सभा में बताया कि इन प्रकरणों की जांच की जा रही है।

2.4.21 प्रतिदाय

राजस्थान वैट अधिनियम की धारा 53 के अनुसार यदि कोई राशि किसी व्यवहारी को इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत लौटाने योग्य है तो ऐसी राशि के जमा होने का समुचित सत्यापन किये जाने के बाद निर्धारण प्राधिकारी ऐसे व्यवहारी को लौटाने योग्य राशि का प्रतिदाय करेगा।

2.4.22 वैट प्रतिदायों में वृद्धि

वर्षवार वैट प्राप्तियां एवं प्रतिदाय निम्नानुसार थे:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वैट प्राप्तियां	वैट प्रतिदाय
2009-10	9,436.29	4.50
2010-11	11,638.74	1.24
2011-12	14,371.53	14.47
2012-13	16,887.47	88.94
2013-14	19,490.41	323.37

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि 2009-10 से 2013-14 की अवधि के दौरान वैट प्राप्तियों में केवल 106 प्रतिशत की वृद्धि हुई। फिर भी इसी अवधि के दौरान वैट प्रतिदायों में 7,086 प्रतिशत की चैतावनी के स्तर की वृद्धि हुई।

प्रतिदायों में वर्ष 2013-14 के दौरान हुई असामान्य वृद्धि के कारणों का विभाग द्वारा विश्लेषण नहीं किया गया। विभाग द्वारा विस्तृत सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण लेखापरीक्षा भी प्रतिदायों में असामान्य वृद्धि के कारणों को नहीं जांच सका।

कर का आरोपण

2.4.23 छूटा हुआ टर्नओवर

केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क विभाग से एकत्र वर्ष 2011-12 की सूचनाओं को राजविस्टा पर उपलब्ध आंकड़ों से प्रतिसत्यापन करने पर पाया गया कि 100 पंजीकृत व्यवहारियों ने माल के पुनःआयात सम्बन्धी अपने संव्यवहारों को या तो दर्शाया ही नहीं या संव्यवहारों की कम राशि दर्शायी। निष्कर्षों का विवेचन निम्न प्रकार है:

2.4.23.1 अट्ठासी पंजीकृत व्यवहारियों ने ₹ 112.84 करोड़ का माल पुनःआयात किया। तथापि, इन व्यवहारियों ने संव्यवहारों को वार्षिक विवरणियों के साथ प्रस्तुत अपने व्यापार खातों में नहीं दर्शाया। इसके परिणामस्वरूप छूटे हुए टर्नओवर पर कर ₹ 1.13 करोड़, ब्याज ₹ 47.39 लाख एवं शास्ति ₹ 2.26 करोड़ का आरोपण नहीं हुआ।

2.4.23.2 बारह पंजीकृत व्यवहारियों ने ₹ 54.40 करोड़ के माल का पुनःआयात किया। तथापि, इन व्यवहारियों ने अपनी वार्षिक विवरणियों में केवल ₹ 9.90 करोड़ की माल वापसी दर्शायी। इसके परिणामस्वरूप छूटे हुए टर्नओवर पर कर ₹ 44.50 लाख, ब्याज ₹ 18.69 लाख एवं शास्ति ₹ 89 लाख का आरोपण नहीं हुआ।

सरकार ने जवाब दिया (नवम्बर 2015) कि तीन व्यवहारियों के पुनःआयात के आंकड़ों की प्रतिकरापवंचन टीम द्वारा जांच करायी गयी एवं यह पाया गया कि समस्त पुनःआयात माल को लेखापुस्तकों में दर्शाया गया था और इस प्रकार स्टॉक में शामिल कर लिया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि इन मापक जांच प्रकरणों में व्यवहारियों ने अपनी वार्षिक विवरणियों जो कि निर्धारण का आधार है, में पुनःआयात सम्बन्धी संव्यवहारों को या तो दर्शाया ही नहीं था या संव्यवहारों की कम राशि दर्शायी थी।

2.4.24 पंजीयन निरस्तीकरण के समय माल का अन्तिम स्टॉक

राजस्थान वैट अधिनियम की धारा 17(4) में प्रावधान है कि प्रत्येक व्यक्ति जिसका इस अधिनियम के तहत पंजीयन निरस्त हो गया हो, वह ऐसे निरस्तीकरण की तिथि को स्टॉक में बचे कर योग्य माल तथा पूंजीगत माल पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कर चुकायेगा।

वर्ष 2013-14 की अवधि के दौरान, चयनित वृत्तों²⁸ में 2,014 व्यवहारियों ने अप्रैल 2011 या इसके बाद की तिथि से पंजीयन निरस्त करवाया। विवरणियों की प्रस्तुति, पंजीयन प्रमाण-पत्रों का सत्यापन एवं अन्तिम विवरणी के अनुसार टर्नओवर

²⁸ वृत्त: भिवाड़ी-बी, जयपुर-डी, जयपुर-एन, जोधपुर-ए, नागौर उदयपुर-बी।

के बारे में सूचना चाही गयी लेकिन वांछित सूचना किसी भी वृत्त द्वारा उपलब्ध नहीं करायी गयी।

अनुपालना के स्तर को जांचने हेतु 1,532 व्यवहारियों जिनका पूंजीयन 31 मार्च 2012 या 1 अप्रैल 2012 से निरस्त किया गया था, का चयन किया गया। राजविस्टा पर उपलब्ध सूचना की जांच में पाया गया कि इन 1,532 व्यवहारियों में से 1,247 व्यवहारियों ने वर्ष 2011-12 के लिये अपनी विवरणियां प्रस्तुत नहीं की थी तथा 18 व्यवहारियों ने अपनी वार्षिक विवरणियों के साथ व्यापार खाता प्रस्तुत नहीं किया था। तथापि, इन प्रकरणों में निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा कोई मांग कायम नहीं की गयी। इसके अतिरिक्त, सात प्रकरणों में यद्यपि व्यवहारियों ने अन्तिम स्टॉक घोषित किया था परन्तु निर्धारण प्राधिकारियों ने कर, ब्याज एवं शास्ति आरोपित नहीं की।

यह पाया गया कि ऐसे प्रकरणों में व्यवसाय बन्द करने के समय स्टॉक में रहे माल/पूंजीगत माल पर कर के आरोपण सम्बन्धी राजस्थान वैट अधिनियम के प्रावधानों को लागू नहीं किया गया। ऐसी परिस्थितियों में व्यवसाय बन्द करने के समय स्टॉक में रहे माल को बाद में बेचने की सम्भावना के कारण कर के भुगतान नहीं होने से सरकार को राजस्व की हानि की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।

2.4.25 कर की गलत दर लगाना

राजस्थान वैट अधिनियम की धारा 4 के अनुसार माल की बिक्री पर इस अधिनियम की अनुसूचियों में वर्णित दर से कर देय है। इसके अतिरिक्त राजस्थान वैट अधिनियम की धारा 8(3) में प्रावधान है कि राज्य सरकार अधिसूचना जारी करते हुए अनुसूची-1A में वर्णित किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग के द्वारा किये जाने वाले विक्रय या क्रय को अधिसूचना में उल्लेखित शर्तों पर या बिना शर्त कर मुक्त घोषित कर सकती है। अनुपालना के स्तर को जांचने हेतु दो वस्तुओं अर्थात् पका हुआ भोजन एवं पूंजीगत माल का चयन किया गया जिसके लिये सशर्त करमुक्ति दी गयी थी। मापक जांच के परिणामों का वर्णन इस प्रकार है:

2.4.25.1 पके हुए भोजन पर कर दर 14 प्रतिशत थी। तथापि, राज्य सरकार ने दिनांक 9 मार्च 2010 की अधिसूचना से तीन सितारा श्रेणी से कम के भोजनालयों एवं होटलों को पकाये व परोसे गये भोजन के विक्रय पर पांच प्रतिशत की दर से अधिक के कर के भुगतान को माफ कर दिया।

राज्य आबकारी विभाग से तीन सितारा एवं इससे अधिक की श्रेणी के होटल या हेरिटेज होटल (बी-श्रेणी) के रूप में बार लाइसेन्स रखने वाले होटलों की सूचना प्राप्त की गयी। इन व्यवहारियों द्वारा वर्ष 2011-12 के लिये प्रस्तुत की गयी विवरणियों की जांच में पाया गया कि 11 व्यवहारियों ने पके हुए भोजन पर सही कर दर 14 प्रतिशत के स्थान पर पांच प्रतिशत दर से कर का भुगतान किया।

इसके परिणामस्वरूप कर ₹ 4.39 करोड़, ब्याज ₹ 2.02 करोड़ एवं शास्ति ₹ 8.77 करोड़ का कम भुगतान हुआ। राजविस्टा पर उपलब्ध सूचना के अनुसार निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा इन प्रकरणों के कर निर्धारण के समय कोई मांग कायम नहीं की।

सचिव, वित्त (राजस्व) ने समापन सभा के दौरान बताया कि होटलों को श्रेणी प्रमाण-पत्र जारी करने के लिये एक कमेटी का गठन कर दिया गया है।

2.4.25.2 राज्य सरकार ने अधिसूचना दिनांक 27 अगस्त 2008 से पंजीकृत निर्माता व्यवहारी के द्वारा पूंजीगत माल, इसके पार्ट्स एवं एसेसरीज के क्रय पर पांच प्रतिशत की दर से अधिक के कर के भुगतान को इस शर्त पर माफ किया कि राज्य का ऐसा क्रेता व्यवहारी राज्य के विक्रेता व्यवहारी को एक निर्धारित घोषणा-पत्र प्रस्तुत करेगा।

(i) चयनित वृत्तों²⁹ के निर्धारण अभिलेखों की जांच में पाया गया कि पांच व्यवहारियों ने वर्ष 2011-12 के दौरान क्रेता व्यवहारियों से निर्धारित घोषणा प्रपत्र प्राप्त किये बिना ही ₹ 1.97 करोड़ मूल्य के प्लान्ट एवं मशीनरी को पूंजीगत माल के रूप में बेचा। निर्धारण प्राधिकारियों ने, कर निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय सही कर दर जो कि 14 प्रतिशत थी आरोपित नहीं की। इसके परिणामस्वरूप कर ₹ 17.69 लाख, ब्याज ₹ 7.43 लाख एवं शास्ति ₹ 35.39 लाख का कम आरोपण हुआ।

(ii) जनरेटर सेट्स विद्युत उत्पादन के उपयोग में आते हैं। इस प्रकार विक्रेता व्यवहारी जनरेटर सेट्स को घोषणा प्रपत्र पर पूंजीगत माल के रूप में नहीं बेच सकता है। वृत्त भिवाड़ी-बी के निर्धारण अभिलेखों की जांच में देखा गया कि एक व्यवहारी (मैसर्स होण्डा मोटर साइकिल एण्ड स्कूटर इण्डिया प्रा. लि. टिन 08134201066) ने विक्रेता व्यवहारी (मैसर्स सुधीर पावर प्रोजेक्ट्स लि. टिन 08401764617) से पांच प्रतिशत की कर दर पर जनरेटर सेट्स खरीदे। विक्रेता व्यवहारी की राजविस्टा पर उपलब्ध विवरणियों का प्रतिसत्यापन करने पर पाया गया कि विक्रेता व्यवहारी ने वर्ष 2011-12 के दौरान जनरेटर सेट्स का ₹ 1.93 करोड़ का विक्रय पूंजीगत माल के रूप में पांच प्रतिशत की दर से किया। राजविस्टा पर उपलब्ध डी.सी.आर. की आगे जांच करने पर पाया गया कि निर्धारण प्राधिकारी (वृत्त-बी, जयपुर) ने कम दर से कर वसूल करने पर विक्रेता व्यवहारी के विरुद्ध मांग कायम नहीं की। इसके परिणामस्वरूप कर ₹ 17.41 लाख, ब्याज ₹ 7.31 लाख एवं शास्ति ₹ 34.82 लाख का कम भुगतान हुआ।

उपरोक्त आक्षेप दर्शाते हैं कि विभाग ने क्रेता व्यवहारियों द्वारा रियायती दर पर माल खरीदने के लिये जारी किये घोषणा प्रपत्रों³⁰ के दुरुपयोग को जांचने के लिये

²⁹ वृत्त: भिवाड़ी-बी और उदयपुर-बी।

³⁰ क्रेता व्यवहारी रियायती दर पर पूंजीगत माल की खरीद हेतु बिना विभाग की अनुमति के स्वयं द्वारा मुद्रित घोषणा पत्र जारी कर सकता है।

प्रभावी तन्त्र विकसित नहीं किया। इसके अतिरिक्त, क्रेता व्यवहारी द्वारा घोषणा प्रपत्रों का दुरुपयोग किये जाने पर शास्ति आरोपण के सम्बन्ध में राजस्थान वैट अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं था।

2.4.26 कर से अनियमित छूट देना

राजस्थान वैट नियमों के नियम 21(1) के अनुसार जो व्यवहारी राज्य में किसी अन्य व्यवहारी को माल के विक्रय अथवा भारत के सीमा क्षेत्र से बाहर माल के निर्यात के क्रम में कर के भुगतान में आंशिक या पूरी छूट का दावा करता है तो वह वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने की तिथि से पूर्व घोषणा प्रपत्र/प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा। परन्तु आयुक्त, वाणिज्यिक कर यदि संतुष्ट हो जाये तो ऐसा करने के कारणों को अभिलिखित करते हुए अधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित कर ऐसे घोषणा प्रपत्रों/प्रमाण-पत्रों के प्रस्तुत करने की अवधि अधिकतम एक वर्ष के लिये बढ़ा सकता है। प्रावधान यह भी किया गया कि 30 सितम्बर 2012 तक सम्पूरित किये गये निर्धारणों के लिये व्यवहारी घोषणा प्रपत्र/प्रमाण-पत्र 30 जून 2013 तक प्रस्तुत कर सकते थे।

चयनित वृत्तों³¹ के निर्धारण अभिलेखों की जांच के दौरान यह पाया गया कि आठ व्यवहारियों द्वारा निर्दिष्ट अवधि के बाद घोषणा प्रपत्र प्रस्तुत करने पर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा वर्ष 2013-14 में मांग ₹ 1.15 करोड़ की कमी की गयी। यह पाया गया कि उक्त घोषणा प्रपत्र उपरोक्त नियम के विपरीत स्वीकार किये गये। इसके परिणामस्वरूप मांग में ₹ 1.15 करोड़ की अनियमित कमी हुई।

राज्य सरकार ने जवाब दिया (नवम्बर 2015) कि नियमों को फिर से 9 मार्च 2015 को निम्नानुसार संशोधित कर दिया गया 'यह भी प्रावधान किया जाता है कि 30 सितम्बर 2014 तक संपूरित किये गये निर्धारणों के लिये व्यवहारी घोषणा प्रपत्र/प्रमाण-पत्र 30 जून 2015 तक प्रस्तुत कर सकते हैं'। उपरोक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में, वर्ष 2013-14 में प्रस्तुत किये घोषणा प्रपत्र/प्रमाण-पत्र मान्य थे। उत्तर सही नहीं था क्योंकि समयावधि में वृद्धि के लिये संशोधन 9 मार्च 2015 को अधिसूचित किया गया तथा निर्धारण प्राधिकारी अधिसूचना से पूर्व कायम की गयी मांग में कमी करने के लिये अधिकृत नहीं थे। इस प्रकार घोषणा प्रपत्रों को स्वीकार करना गलत था। इसे फिर से विभाग के ध्यान में लाया गया तथा सचिव, वित्त (राजस्व) ने विभाग को घोषणा प्रपत्रों/प्रमाण-पत्रों को प्रस्तुत करने के लिये समय सीमा निर्धारित करने के निर्देश दिये।

2.4.27 ब्याज का कम आरोपण/अनारोपण

राजस्थान वैट अधिनियम की धारा 55 के अनुसार यदि कोई व्यवहारी उसके द्वारा देय राशि को निर्दिष्ट समयावधि में भुगतान करने में चूक करता है तो वह ऐसी

³¹ वृत्त: भीलवाडा-विशेष, जयपुर-विशेष-III, जयपुर-जे और उदयपुर-बी।

राशि पर 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से भुगतान के लिये निर्धारित तिथि के अगले दिन से भुगतान किये जाने की तिथि तक की अवधि के लिये ब्याज के भुगतान के लिये दायी होगा।

चयनित वृत्तों³² के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि 408 प्रकरणों में व्यवहारियों ने मांग राशि ₹ 1.15 करोड़ को 3 से 232 माह की देरी से जमा कराया। यह पाया गया कि न तो व्यवहारियों ने मांग जमा कराते समय ब्याज जमा कराया और न ही निर्धारण प्राधिकारियों ने आगामी वर्ष के डी.सी.आर. में प्रविष्टियां करते समय विलम्ब से जमा मांग पर ब्याज मांगा। इसके परिणामस्वरूप ब्याज ₹ 49.55 लाख की मांग कायम नहीं हुई।

2.4.28 आयातित माल परिवहन के साथ लेकर चलने हेतु वांछित घोषणा प्रपत्रों की निगरानी नहीं किया जाना

राजस्थान वैट नियमों के नियम 53 के अनुसार कोई पंजीकृत व्यवहारी, (i) जो राज्य के बाहर कहीं से भी राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित कोई भी कर योग्य माल विक्रय हेतु आयात करता है या (ii) जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित कोई भी कर योग्य माल जो उसे राज्य के बाहर कहीं से भी भेजा गया हो या शाखा अन्तरण/डिपो अन्तरण/स्टॉक अन्तरण के रूप में प्राप्त करता है या (iii) जो राज्य के बाहर से उपयोग, उपभोग या बिक्री से भिन्न उद्देश्य के लिये राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित कोई भी कर योग्य माल लाने, आयात करने का इरादा रखता है या अन्यथा प्राप्त करता है; तो प्रपत्र वैट-47 में स्याही से लिखकर पूर्ण रूप से भरा हुआ एक घोषणा प्रपत्र प्रस्तुत करेगा तथा यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे प्रपत्र में कीमत, प्रयोग की दिनांक एवं माह इस हेतु प्रपत्र में दी गयी जगह पर छिद्रित किया गया हो। घोषणा प्रपत्र का प्रतिपण व्यवहारी द्वारा अपने पास रखा जायेगा तथा उसके उन भागों को जिस पर 'मूल' एवं 'डुप्लीकेट' अंकित है उन्हें माल परिवहन के समय साथ रखना होगा। पंजीकृत व्यवहारी माल के आयात का विवरण प्रपत्र वैट-48 में प्रपत्र वैट-47 के डुप्लीकेट भाग के साथ प्रस्तुत करेगा और यदि प्रपत्र वैट-47 का मूल भाग किसी अधिकारी द्वारा नहीं रखा गया है तो उसे भी प्रपत्र वैट-47 के डुप्लीकेट भाग सहित निर्धारण प्राधिकारी को विवरणी के साथ प्रस्तुत करेगा।

चयनित वृत्तों³³ के 22 व्यवहारियों के निर्धारण अभिलेखों में उपलब्ध एवं उपयोग किये गये 284 वैट-47 प्रपत्रों की जांच में पाया गया कि व्यवहारियों ने निम्न तालिका में दर्शाये अनुसार अपूर्ण प्रपत्र प्रस्तुत किये:

³² वृत्त: भिवाड़ी-बी, जयपुर-डी, जयपुर-जे, जयपुर-एन और उदयपुर-बी।

³³ वृत्त: भिवाड़ी-बी (छ: व्यवहारी), जयपुर-जे (छ: व्यवहारी), जयपुर विशेष-III (पांच व्यवहारी) और पाली-विशेष (पांच व्यवहारी)।

क्र. सं.	कमियों का विवरण	व्यवहारियों की संख्या	प्रपत्रों की संख्या
1.	प्रेषक द्वारा विवरण नहीं भरा जाना	22	174
2.	परिवहनकर्ता द्वारा विवरण नहीं भरा जाना	19	98
3.	व्यवहारियों द्वारा मूल्यांक को छिद्रित नहीं करना	22	254
4.	व्यवहारियों द्वारा प्रपत्रों के उपयोग की तिथि को छिद्रित नहीं करना	22	254

कर के अपवंचन या परिवर्जन को रोकने या जांचने की दृष्टि से आयुक्त, वाणिज्यिक कर द्वारा राज्य में 63 स्थानों पर चैक पोस्ट स्थापित की गयी थी। तथापि, 1 मई 2008 से चैक पोस्टों को हटा दिया गया। चैक पोस्टों के नहीं होने से माल के अनधिकृत आवागमन को जांचने हेतु प्रपत्र वैट-47 ही एक मात्र नियन्त्रक विद्यमान है। उक्त वैट-47 प्रपत्रों में राशि ₹ 38.08 करोड़ का माल का आवागमन घोषित किया गया। तथापि, उपरोक्त कमियों के कारण व्यवहारियों द्वारा राज्य के बाहर से क्रय किये गये माल को लेखा पुस्तकों में दर्ज नहीं करने/कम दर्ज करने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।

सरकार ने जवाब दिया (नवम्बर 2015) कि 1 जुलाई 2015 से वर्ष 2014-15 या किसी आगामी वर्ष में ₹ 25 लाख के वार्षिक टर्नओवर वाले व्यवहारियों के लिये आधिकारिक वेबसाइट से वैट-47ए जनरेट करना अनिवार्य कर दिया गया। इसलिये कोई भी खाली या अपूर्ण प्रपत्र जनरेट नहीं किया जा सकता है।

विभाग को राजस्व के किसी भी रिसाव को रोकने के लिये 1 जुलाई 2015 से पूर्व उपयोग में लिये गये घोषणा प्रपत्रों की निगरानी करनी चाहिए तथा उपयोग में लिये गये वैट-47 प्रपत्र सहित प्रपत्र वैट-48 में विवरण के प्रस्तुतिकरण को सुनिश्चित करना चाहिए।

2.4.29 आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली

आन्तरिक नियन्त्रण का उद्देश्य कानूनों, नियमों एवं विभागीय निर्देशों के उचित रूप से लागू करने के प्रति आश्वासन देना है। निगरानी आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली का महत्वपूर्ण घटक है। आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली की सफलता को सुनिश्चित करने के लिये सतत् एवं प्रभावी निगरानी तन्त्र आवश्यक है। प्रभावी कर प्रबन्धन को सुनिश्चित करने के लिये आयुक्त, वाणिज्यिक कर निर्धारणों के लिये क्षेत्राधिकार, विवरणियों की जांच, आगत कर लाभ का सत्यापन, व्यवसाय की लेखापरीक्षा आदि के सम्बन्ध में फील्ड इकाइयों को निर्देश जारी करता है। तथापि, फील्ड इकाइयों द्वारा ऐसे निर्देशों की पालना नहीं करना जैसा कि पूर्ववर्ती अनुच्छेदों में उल्लेखित किया गया है तथा उच्च अधिकारियों द्वारा इनकी अनुपालना की निगरानी नहीं रखना कमजोर नियन्त्रण तन्त्र के परिचायक है। इसके अतिरिक्त, निम्न कमियां पायी गयी:

2.4.29.1 राजस्थान वैट अधिनियम की धारा 24 के अनुसार पंजीकृत व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत की गयी प्रत्येक विवरणी, सत्यता के प्रमाणीकरण किये जाने हेतु आयुक्त द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जांच के अधीन होगी और यदि उसमें कोई त्रुटि पायी जाती है तो निर्धारण प्राधिकारी त्रुटि को सुधारने के लिये व्यवहारी को निर्धारित प्रारूप में एक नोटिस जारी करेगा।

चयनित वृत्तों में पाया गया कि व्यवहारियों को जारी नोटिसों की पालना पर निगरानी हेतु किसी भी निर्धारण प्राधिकारी द्वारा कोई रजिस्टर संधारित नहीं किया गया। ऐसे रजिस्ट्रों के अभाव में यह सुनिश्चित करना कठिन था कि व्यवहारियों द्वारा इनकी पालना कर ली गयी तथा अनुपालना नहीं किये जाने के प्रकरण में, यदि कोई हो तो, दण्डात्मक कार्यवाही की गयी।

इसके अतिरिक्त, निर्धारण प्राधिकारियों को जब भी पारित निर्धारणों में त्रुटि का पता चलता है तो वे संशोधन पूर्व नोटिस जारी करते हैं। विभाग में निगरानी हेतु कोई प्रणाली नहीं थी कि निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा ऐसे नोटिसों पर कोई कार्यवाही कर ली गयी। इसके परिणामस्वरूप ऐसे व्यवहारियों द्वारा जिन्होंने नोटिसों की पालना नहीं की, करवंचना की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।

सचिव, वित्त (राजस्व) ने समापन सभा के दौरान विभाग को सभी नोटिसों को ऑनलाइन सिस्टम से जारी करने के निर्देश दिये।

2.4.29.2 आयुक्त, वाणिज्यिक कर ने एक परिपत्र (3 जनवरी 2008) जारी किया और निर्धारित प्रारूप में डी.सी.आर. संधारित करने हेतु निर्धारण प्राधिकारियों को निर्देश दिये। वृत्त जयपुर-जे के पांच निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा संधारित डी.सी.आर. की जांच में पाया गया कि इन निर्धारण प्राधिकारियों ने निर्धारण आदेशों की प्रविष्टियां करते समय डी.सी.आर. (2012-13 एवं 2013-14) के 52 क्रम संख्याओं को रिक्त छोड़ दिया। इसके अतिरिक्त, इन निर्धारण प्राधिकारियों ने 30 निर्धारण आदेशों की प्रविष्टियां करने में उप क्रमांक का उपयोग करते हुए एक क्रम संख्या को दो बार प्रयुक्त किया। ये अनियमिततायें डी.सी.आर. की प्रमाणिकता पर प्रश्नचिन्ह लगाती हैं।

आयुक्त, वाणिज्यिक कर ने समापन सभा के दौरान बताया कि वर्तमान में डी.सी.आर. राजविस्टा पर संधारित किये जा रहे हैं।

2.4.29.3 यह पाया गया कि निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा बकाया मांगों की सभी प्रविष्टियों को चालू वर्ष के डी.सी.आर. में अग्रेषित कर दिया गया था, की निगरानी के लिये कोई नियन्त्रण प्रणाली नहीं थी। वृत्त जयपुर-जे एवं जयपुर-एन के डी.सी.आर. (वर्ष 2013-14 व 2014-15) की मापक जांच में पाया गया कि दो निर्धारण प्राधिकारियों³⁴ द्वारा 28 प्रकरणों में बकाया मांग ₹ 3.96 लाख को आगामी वर्ष के डी.सी.आर. में अग्रेषित नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप डी.सी.आर. से मांग राशि ₹ 3.96 लाख विलोपित हो गयी।

³⁴ वृत्त: जयपुर-जे, स.वा.क.अ. घट-III और जयपुर-एन स.वा.क.अ. घट-III

आयुक्त, वाणिज्यिक कर ने समापन सभा में बताया कि वर्तमान में डी.सी.आर. राजविस्टा पर संधारित किये जा रहे हैं।

2.4.29.4 राजस्थान वैट अधिनियम में अवार्डर द्वारा स्रोत पर कर की कटौती, इसे समय पर सरकारी खाते में जमा कराने के प्रावधान हैं तथा वैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन होने के मामले में अवार्डर पर शास्ति के प्रावधान भी हैं। यह पाया गया कि वर्ष 2013 तक मासिक विवरणों के प्रस्तुतीकरण की निगरानी हेतु न तो कोई नियन्त्रक रजिस्टर और न ही अवार्डरों की अलग-अलग पत्रावलियां विहित की गयी थी। इसके परिणामस्वरूप निर्धारण प्राधिकारियों के पास यह सुनिश्चित करने के लिये कोई व्यवस्था नहीं थी कि अवार्डरों ने स्रोत पर कर की सही कटौती की एवं इसे समय पर जमा कराया। बाद में आयुक्त, वाणिज्यिक कर ने अवार्डरों के दायित्व की निगरानी हेतु निर्धारित रजिस्टर संधारित करने के लिये निर्देश (19 जुलाई 2013) जारी किये। लेखापरीक्षा द्वारा मांगे जाने पर, चयनित वृत्तों³⁵ ने निर्धारित रजिस्टर जांच हेतु उपलब्ध नहीं कराये। इसलिये यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि इन वृत्तों द्वारा रजिस्टर संधारित किये गये या निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा किस प्रकार से अवार्डरों के दायित्व को सुनिश्चित किया गया।

2.4.30 निष्कर्ष एवं सिफारिशें

वैट राज्य के राजस्व का महत्वपूर्ण स्रोत है। कर का किसी भी प्रकार का रिसाव सरकार के राजस्व एवं इसकी बजट सन्तुलन की क्षमता को गंभीर रूप से प्रभावित करेगा। इसलिये, कर प्रणाली के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के लिये वैट के पंजीयन, निर्धारण एवं संग्रहण के लिये एक मजबूत तन्त्र होना आवश्यक है। विभाग ने कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन लागू किये हैं जैसे व्यवहारियों द्वारा विवरणियों को ऑनलाइन प्रस्तुत करना एवं उनका निर्धारण करना, आई.टी. मॉड्यूल द्वारा आगत कर लाभ के दावों का सत्यापन आदि। फिर भी, निम्न क्षेत्रों में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है:

- पंजीयन के लिये दायी व्यवहारी का पता लगाने के लिये विभाग में तन्त्र अपर्याप्त था। सरकार को चाहिए कि कर योग्य खनिज के प्रत्येक खनन पट्टाधारी के बाध्यकारी पंजीयन हेतु राजस्थान वैट अधिनियम में प्रावधान शामिल करे तथा आयातकों को आसानी से पहचाने हेतु 'बिल ऑफ एन्ट्री फार्म' में आयातक व्यवहारी के टिन के लिये एक कॉलम जोड़ने के लिये केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क विभाग से अनुरोध करें। सरकार को पंजीयन योग्य अपंजीकृत व्यवहारियों को कर के दायरे में लाने हेतु विभाग में/अन्य विभागों के पास उपलब्ध सूचनाओं को उपयोग में लाने के लिये एक प्रणाली विकसित करने पर भी विचार करना चाहिए।

³⁵ वृत्त: भीलवाडा विशेष, भिवाड़ी-बी, जयपुर-डी, जयपुर-जे, जयपुर-एन, जोधपुर-ए, जयपुर-विशेष-III, पाली विशेष, नागौर और उदयपुर-बी।

- व्यवहारियों के सही कर दायित्व को सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक ब्यौरा लेने के लिये विवरणियों के प्रारूप अपर्याप्त थे। इसके अतिरिक्त व्यवहारियों ने अपूर्ण विवरणियां दी या विवरणियों में विरोधाभासी सूचनायें प्रस्तुत की थी। विवरणियों की जांच एवं निगरानी से सम्बन्धित प्रावधानों की अनुपालना कमजोर थी। सरकार को विवरणियों के प्रारूप में संशोधन पर विचार करना चाहिए ताकि उन्हें राजस्थान वैट अधिनियम के प्रावधानों के और अधिक अनुकूल बनाया जा सके। सरकार को राजविस्टा के तन्त्र को यह सुनिश्चित करने हेतु बेहतर बनाने पर विचार करना चाहिए कि अपूर्ण विवरणियां स्वीकार ही नहीं हों। राजविस्टा में जब तक यह परिवर्तन नहीं किया जावे तब तक आयुक्त, वाणिज्यिक कर को अपूर्ण विवरणियों की जांच के लिये निर्धारण प्राधिकारियों को निर्देशित करना चाहिए।
- राजस्थान वैट अधिनियम/नियम के प्रावधानों की पालना का अभाव पाया गया। बहुत से व्यवहारियों ने, जिन्होंने कर वसूल कर लिया था, या तो विवरणियां प्रस्तुत नहीं की या शून्य टर्नओवर की विवरणियां प्रस्तुत की। सरकार को ऐसे व्यवहारियों द्वारा करवंचना को जांचने के लिये राजविस्टा पर मॉड्यूलस बनाने पर विचार करना चाहिए जिन्होंने शून्य टर्नओवर की विवरणियां प्रस्तुत की या विवरणियां प्रस्तुत नहीं की। व्यवहारियों द्वारा क्रय, विक्रय, क्रय वापसी, विक्रय वापसी, क्रेडिट/डेबिट नोट्स का बीजक वार विवरण को अपलोड करने के लिये प्रावधानों को वाणिज्यिक कर विभाग, कर्नाटक की तर्ज पर राजस्थान वैट नियमों में सम्मिलित करने पर सरकार को विचार करना चाहिए।
- व्यवसाय लेखापरीक्षा कर-प्रशासन का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हुए भी उपेक्षित रहा क्योंकि चयनित प्रकरणों की व्यवसाय लेखापरीक्षा करने में 67 प्रतिशत तक की कमी रही तथा 3,206 प्रकरण कालातीत हो गये। सरकार को राजस्व रिसाव को रोकने के लिये व्यवसाय लेखापरीक्षा की प्रक्रिया को मजबूत करना चाहिए। व्यवसाय लेखापरीक्षा प्रक्रिया को सरल एवं कारगर बनाने के लिये व्यवसाय लेखापरीक्षा मैनुअल बनाने पर भी विचार करना चाहिए।

इन सिफारिशों पर भी समापन सभा के दौरान विचार विमर्श किया गया। सचिव, वित्त (राजस्व) ने उपयुक्त परीक्षण के बाद सिफारिशों को अमल में लाने का आश्वासन दिया।

2.5 शास्ति का अनारोपण

'केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम 1956' की धारा 10ए के साथ पठित धारा 10(डी) के अनुसार यदि कोई व्यक्ति क्रय किये गये माल का धारा 8(3) के क्लाज (बी) में वर्णित उद्देश्यों के लिए उपयोग करने में असफल रहता है तो वह प्राधिकारी जो उसे इस अधिनियम के तहत पंजीयन प्रमाण-पत्र जारी करता है, समुचित अवसर प्रदान करने के बाद शास्ति आरोपित कर सकेगा जो इस माल के राज्य के अन्दर की गई बिक्री पर कर राशि से डेढ़ गुनी से अधिक नहीं होगी।

वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत्त 'बी' उदयपुर के कर निर्धारण अभिलेखों की मापक जांच में पाया (जुलाई 2014) कि एक व्यवहारी (मैसर्स दि लैक पैलेस होटल एण्ड मोटल्स प्रा. लि.) जो होटल व्यवसाय करता है, ने वर्ष 2010-11 एवं वर्ष 2011-12 में सी प्रपत्र के समर्थन में ₹ 139.58 लाख के इलेक्ट्रीकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुएं, फर्नीचर, लिफ्ट व बाथ फीटिंग उपसाधन इत्यादि अन्य राज्य से क्रय किये। यह माल धारा 8 की उपधारा (3) के क्लाज (बी) में वर्णित उद्देश्यों के लिए प्रयोग में नहीं लाया गया। इसलिए व्यवहारी इस माल पर 14 प्रतिशत की दर से देय कर का डेढ़ गुना शास्ति ₹ 29.31 लाख चुकाने के लिये दायी था। निर्धारण प्राधिकारी ने इस व्यवहारी के निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय (फरवरी 2013 व मार्च 2014) शास्ति आरोपित करने की कोई कार्यवाही नहीं की।

चूक को विभाग के ध्यान में लाया गया (जुलाई 2014) तथा सरकार को सूचित किया गया (मार्च 2015)। सरकार ने अवगत कराया (जुलाई 2015) कि वैट एवं केन्द्रीय विक्रय कर की ₹ 60.29 लाख की मांग कायम कर दी गयी और ₹ 6.03 लाख वसूल कर लिये गये। शेष वसूली की सूचना प्रतीक्षित है (नवम्बर 2015)।

2.6 पेट्रोलियम व्यवहारियों को प्रशमन योजना में गलत लाभ देना

राज्य सरकार ने राजस्थान वैट अधिनियम 2003 की धारा 5 के अन्तर्गत दिनांक 9 मार्च 2007 को पेट्रोलियम कम्पनियों के खुदरा बिक्री वाले पंजीकृत व्यवहारियों के लिए प्रशमन योजना जारी की जिसके तहत लुब्रिकेन्ट, पीला कपडा और फैन बैल्ट विक्रय करने वाले व्यवहारियों को कर के स्थान पर प्रशमन राशि के भुगतान का विकल्प दिया गया। अनुच्छेद 5.04(ii) के अनुसार यदि व्यवहारी निर्धारित समय में प्रशमन राशि जमा कराने में असमर्थ रहता है, तो योजना का लाभ तब ही स्वीकृत किया जा सकता है, जब वह योजना के तहत सम्पूर्ण बकाया राशि राजस्थान वैट अधिनियम में अधिसूचित दर से ब्याज के साथ जमा करा देगा। इसके अतिरिक्त यदि वह देय तिथि से तीन माह के भीतर देय किश्त जमा कराता है तो उसे देय प्रशमन राशि का 25 प्रतिशत विलम्ब शुल्क भी जमा कराना होगा। यदि बकाया राशि उपरोक्त तीन माह के बाद और सम्बन्धित

वित्तीय वर्ष के 31 मार्च से पूर्व जमा कराता है तो विलम्ब शुल्क देय राशि का 50 प्रतिशत होगा और इसके बाद वह योजना में लाभ के योग्य नहीं होगा।

सरकार ने अधिसूचना दिनांक 21 जून 2012 द्वारा अधिसूचना दिनांक 9 मार्च 2007 में संशोधन कर के उन व्यवहारियों को भी योजना का लाभ अनुमत्य कर दिया जो कि प्रशमन राशि या विलम्ब शुल्क या ब्याज सम्बन्धित वर्ष के 31 मार्च से पहले जमा कराने में तो असमर्थ रहे थे किन्तु जिन्होंने अपने टर्नओवर की सूचना 31 मार्च 2011 से पहले निर्धारण प्राधिकारी को दे दी थी। संशोधन के अनुसार ऐसे चूककर्ता व्यवहारी प्रशमन योजना का लाभ ले सकते थे, यदि वे योजना के अन्तर्गत देय सम्पूर्ण राशि राजस्थान वैट अधिनियम में अधिसूचित ब्याज दर के अनुसार ब्याज सहित जमा कराने के साथ अतिरिक्त विलम्ब शुल्क जो कि देय प्रशमन राशि का 100 प्रतिशत था, 15 जुलाई 2012 तक जमा करा देते हैं।

वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त 'सी' भीलवाडा के अवधि 2011-12 से 2013-14 के निर्धारण अभिलेखों की मापक जांच (जून 2014) में पाया कि पांच व्यवहारियों ने जिन्होंने पेट्रोलियम कम्पनियों के खुदरा बिक्री केन्द्रों हेतु पंजीकृत व्यवहारियों हेतु प्रशमन योजना को चुना था ने निर्दिष्ट अवधि तक निर्धारित प्रशमन राशि एवं विलम्ब शुल्क का भुगतान नहीं किया था। योजना की शर्त की पालना नहीं करने से ये व्यवहारी योजना के अन्तर्गत लाभ के योग्य नहीं थे। तथापि, निर्धारण प्राधिकारी ने राजस्थान वैट अधिनियम के तहत व्यवहारियों के नियमित कर निर्धारण करने हेतु कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की। इसके परिणामस्वरूप अन्तर कर ₹ 13.19 लाख एवं ब्याज ₹ 5.57 लाख का आरोपण नहीं हुआ।

चूक को विभाग के ध्यान में लाया गया (जुलाई 2014) और सरकार को सूचित किया (अप्रैल 2015)। सरकार ने सूचित किया (जुलाई 2015) कि कर ₹ 13.19 लाख, ब्याज ₹ 7.14 लाख की मांग कायम की गयी एवं ₹ 10.62 लाख की वसूली हो चुकी है। शेष वसूली की सूचना प्रतीक्षित है (नवम्बर 2015)।

2.7 प्रवेश कर का अनारोपण

राजस्थान स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1999 की धारा 3(1) के तहत दिनांक 8 मार्च 2006 एवं 9 मार्च 2011 को अधिसूचना जारी करके राज्य सरकार ने विनिर्दिष्ट माल के उपभोग या उपयोग या विक्रय हेतु स्थानीय क्षेत्र में लाने पर अधिसूचना में दर्शायी दर से व्यवहारी द्वारा देय कर को निर्दिष्ट किया।

आठ वाणिज्यिक कर कार्यालयों³⁶ के प्रवेश कर निर्धारण अभिलेखों की वैट कर निर्धारण अभिलेखों के साथ मापक जांच (जून 2014 एवं फरवरी 2015 के मध्य) में पाया गया कि 16 व्यवहारियों ने 2009-10 से 2012-13 के दौरान

³⁶ वा.क.अ.: विशेष पाली, सीकर, 'बी' अजमेर, (डब्ल्यू.टी.) भरतपुर, 'बी' उदयपुर, विशेष-VII जयपुर, विशेष-II भिवाड़ी एवं 'सी' जयपुर।

₹ 35.71 करोड़ का माल व्यापार में उपभोग या प्रयोग के लिए खरीदा, जिस पर प्रवेश कर आरोपणीय था। तथापि इन व्यवहारियों ने कोई प्रवेश कर नहीं चुकाया। प्रवेश कर आरोपण हेतु कर निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय निर्धारण प्राधिकारी इन व्यवहारियों द्वारा किये गये क्रय को वैट विवरणियों के संलग्नकों (प्रपत्र वैट-47, सी फार्म, ऑडिट रिपोर्ट एवं प्रपत्र वैट-10ए) में दर्शायी खरीद से मिलान करने में असफल रहे। इसके परिणामस्वरूप प्रवेश कर ₹ 1.21 करोड़ एवं ब्याज ₹ 45.41 लाख (मार्च 2014 तक) का अनारोपण हुआ।

चूक को विभाग के ध्यान में लाया गया (जुलाई 2014 एवं अप्रैल 2015 के मध्य), तथा सरकार को सूचित किया (अप्रैल 2015)। सरकार ने उत्तर दिया कि (अगस्त 2015) कि ₹ 1.60 करोड़ (प्रवेश कर ₹ 71.02 लाख, ब्याज ₹ 32.53 लाख एवं शास्ति ₹ 56.65 लाख) की मांग कायम कर दी गयी और ₹ 49.35 लाख वसूल कर लिये गये। शेष वसूली की सूचना प्रतीक्षित है (नवम्बर 2015)।

